राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 168वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 168वीं बैठक दिनांक 18/03/2024 को अपरान्ह 02:00 बजे से आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा उपस्थित प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 167वीं बैठक दिनांक 14/03/2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 167वीं बैठक दिनांक 14/03/2024 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 508वीं एवं 509वीं बैठक क्रमशः दिनांक 11/01/2024 एवं 29/01/2024 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स के.के. स्टोन (खरकेना डोलोमाईट माईन, प्रो.– श्री कमलेश केड़िया), ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2744)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 451306 एवं 04/11/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.588 हेक्टेयर एवं 88,200 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	888	
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विकास केडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक – 888 क्षेत्रफल – 3.58 हेक्टेयर क्षमता – 88,200 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 30/12/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/06/2045 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 360 नग
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक – 10/01/2024 वर्ष 2016–17 में 4,060 टन वर्ष 2017–18 में 15,980 टन वर्ष 2018–19 में 14,820 टन वर्ष 2019–20 में 51,940 टन वर्ष 2020–21 में 65,200 टन वर्ष 2021–22 में 88,040 टन वर्ष 2022–23 में 64,220 टन	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत खरकेना दिनांक 15/02/1993	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/03/2022	
500 मीटर	दिनांक 26/09/2023	11 खदानें, रकबा 165.065 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 26/09/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं नहर 50 मीटर दूर है।
लीज डीड	लीज धारक – मेसर्स के.के. स्टोन, प्रो.– श्री कमलेश केड़िया अवधि – दिनांक 16/06/1995 से 15/06/2045 तक	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम–हिर्री, खसरा क्रमांक 62/1, क्षेत्रफल 1.78 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल,	

	बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 08/02/2023 वन क्षेत्र से आकाशीय दूरी – 15.9 कि.मी.	
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – खरकेना 320 मीटर स्कूल ग्राम – खरकेना 2 कि.मी. अस्पताल – बिलासपुर 14 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 550 मीटर राज्यमार्ग – 28.7 कि.मी.	मनियारी नदी – 3.75 कि.मी. मौसमी नाला – 5.8 कि.मी. तालाब – 1 कि.मी. नहर – 50 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ **माईनिंग प्लान अनुसार रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 24,96,875 टन माईनेबल 6,38,101 टन रिकव्हरेबल 5,74,291 टन **वर्तमान में शेष रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 24,25,519 टन माईनेबल 5,66,745 टन रिकव्हरेबल 5,10,071 टन प्रस्तावित गहराई 35 मीटर बेंच की ऊंचाई 5 मीटर बेंच की चौड़ाई 5 मीटर संभावित आयु 7 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन** 2023–24 में 88,200 टन 2024–25 में 88,200 टन 2025–26 में 88,189 टन 2026–27 में 88,200 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 8,750 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 2,211 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 236 घनमीटर	236 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग।
जल आपूर्ति	मात्रा – 9 घनमीटर स्त्रोत – माईन पिट एवं बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,740 नग	वर्तमान वृक्षारोपण – 360 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण –1,380 नग
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 168.653 हेक्टेयर है।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 18 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 315 वर्गमीटर क्षेत्र 04 स्थानों पर पूर्व से उत्खनन किया गया था, जिसका पुनःभराव किया गया है। उक्त हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेस्टोरेशन प्लान (गहराई एवं क्षेत्रफल सहित) प्रस्तुत किया गया है।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में नहीं किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक,

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall submit the permission of Water Resources Department for mining upto 35 meter depth in lease area.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit DPR (Detailed Project Report) of restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स (प्रो– श्री द्वारिका गुप्ता, पेन्ड्रीडीह डोलोमाईट माईन), ग्राम–पेन्ड्रीडीह, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2743)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 451278 एवं 04/11/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	6.683 हेक्टेयर एवं 50,000 टन प्रतिवर्ष से 4,00,140 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/9, 254/10, 254/11 एवं 259	
भू–स्वामित्व	खसरा क्रमांक 252 व 253 श्री ओंकार सिंह, 254/1 व 254/5 श्रीमती हुलसी बाई तथा सुश्री सुनीता 254/2, 254/4, 254/6 व 254/10 श्री दिव्यदीप गुप्ता एवं 254/3, 254/7, 254/9, 254/11 व 259 श्री प्रेमसाय सिंह के नाम पर है।	खसरा क्रमांक 254/3, 254/7, 254/9, 254/11 व 259 हेतु श्री प्रेमसाय सिंह का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्य खसरा क्रमांकों के बी–1, पी–2 एवं सहमति पत्र में भिन्नता है।
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विकास केडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – डोलोमाईट (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11 एवं 259 क्षेत्रफल – 6.683 हेक्टेयर क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 28/06/2021	एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़
पूर्व में जारी ई.सी.	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण –

का पालन प्रतिवेदन	**क्षमता विस्तार के तहत्** – एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	2,300 नग चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक – 10/01/2024	वर्ष 2016–17 में निरंक वर्ष 2017–18 में निरंक वर्ष 2018–19 में निरंक वर्ष 2019–20 में निरंक वर्ष 2020–21 में निरंक वर्ष 2021–22 में निरंक वर्ष 2022–23 में 20,930
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पेन्ड्रीडीह दिनांक 21/12/2013	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 16/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 26/09/2023	11 खदानें, रकबा 161.97 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 26/09/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स, प्रो – श्री द्वारिका गुप्ता अवधि – दिनांक 24/01/2022 से 23/01/2072 तक।	
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 17/10/2013	वन क्षेत्र से दूरी – 15 कि.मी
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – पेन्ड्रीडीह 265 मीटर स्कूल ग्राम – पेन्ड्रीडीह 450 मीटर अस्पताल – बिल्हा 3.8 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 390 मीटर राज्यमार्ग – 30.15 कि.मी.	मनियारी नदी – 5.45 कि.मी. मौसमी नाला – 3.65 नहर – 275 मीटर तालाब – 800 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	

खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 47,38,435 टन माईनेबल 34,33,426 टन रिकव्हरेबल 32,61,755 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 5 मीटर बेंच की चौड़ाई 5 मीटर संभावित आयु 20 वर्ष क्रशर प्रस्तावित – नहीं	**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन** प्रथम 50,018 टन द्वितीय 50,129 टन तृतीय 1,00,035 टन चतुर्थ 2,00,070 टन पंचम 4,00,140 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 10,650 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी की मोटाई – 0.5 मीटर मात्रा – 21,513 घनमीटर ओव्हर बर्डन की मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 43,025 घनमीटर	3,735 घनमीटर ऊपरी मिट्टी – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 17,778 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर दक्षिणी भाग में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। ओव्हर बर्डन का उपयोग हॉल रोड निर्माण एवं रेम्प के संरक्षण आदि कार्यो में किया जायेगा। शेष 16,570 घनमीटर ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के भीतर संरक्षित किया जायेगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 9.5 घनमीटर स्त्रोत – माईन पिट एवं बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 2,300 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 2,300 नग	
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 168.653 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुत भू–संबंधी दस्तावेज अनुसार खसरा क्रमांकों के बी–1, पी–2 एवं सहमति पत्र में भिन्नता के संबंध में समिति द्वारा पाया गया कि:–

   - खसरा क्रमांक 252 व 253 श्री ओंकार सिंह के नाम पर है, परंतु उक्त खसरा हेतु श्री श्रवण लाल सिंह का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
   - खसरा क्रमांक 254/1 व 254/5 श्रीमती हुलसी बाई तथा सुश्री सुनीता के नाम पर है, परंतु उक्त खसरा हेतु केवल श्रीमती हुलसी बाई का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुश्री सुनीता का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- खसरा क्रमांक 254/2, 254/4, 254/6 व 254/10 श्री दिव्य दीप गुप्ता के नाम पर है, परंतु उक्त खसरा हेतु श्री ओंकार सिंह का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये उपयुक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 18 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project Proponent shall submit top soil & over burden Management Plan.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit the clarification of land document with agreement copy of landowners for mining.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent will present the information along with photographs by mentioning the numbering of the plants and the name of the plant.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals (for expanded capacity) with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

3. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (फतेगंज आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–फतेगंज, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2757)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 451990 एवं 10/11/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.765 हेक्टेयर एवं 3,00,105 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	697/1, 697/2, 701/6, 701/2(पार्ट) एवं 701/14	
भू–स्वामित्व	खसरा क्रमांक 697/1 व 701/6 श्रीमती नीरमती एवं श्री लाप सिंह, खसरा क्रमांक 697/2, 701/2 व 701/14 श्रीमती संतोषी बाई के नाम पर है।	उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत फतेगंज दिनांक 03/06/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 08/11/2023	
500 मीटर	दिनांक 20/10/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 20/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं कच्ची सड़क 80 मीटर दूर है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड भोपाल, दिनांक – 06/10/2023	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल, कोरबा द्वारा जारी दिनांक 14/08/2023 वन कक्ष क्रमांक पी. 1160 से दूरी – 280 मीटर	मिश्रित प्रजाति के 26 नग वृक्ष स्थित है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – फतेगंज 900 मीटर स्कूल ग्राम – फतेगंज 1.1 कि.मी. अस्पताल – कोरबा 16 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 12.1 कि.मी. राज्यमार्ग – 2.75 कि.मी.	हसदेव नदी – 15 कि.मी. मौसमी नाला – 3.1 कि.मी. तालाब – 1.1 कि.मी. नहर – 4.7 कि.मी. कच्ची सड़क – 80 मीटर रिजर्वायर – 4.3 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली	

	पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स–** जियोलॉजिकल 18,66,375 टन माईनेबल 8,86,734 टन रिकव्हरेबल 8,42,397 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष क्रशर प्रस्तावित – नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 2,50,036 टन द्वितीय 3,00,105 टन तृतीय 1,00,112 टन चतुर्थ 1,00,035 टन पंचम 92,071 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 5,250 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी की मोटाई – 0.2 मीटर मात्रा – 4,480 घनमीटर **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –** 1,841 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 2,639 घनमीटर – सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 700, क्षेत्रफल 0.372 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित।	ओव्हर बर्डन की मोटाई – 4.8 मीटर मात्रा – 1,03,480 घनमीटर **ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –** ओव्हर बर्डन का उपयोग रैंप निर्माण तथा हॉल रोड की मरम्मत आदि कार्यो में, एवं शेष ओव्हर बर्डन को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 700, क्षेत्रफल 0.372 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित किया जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 8 घनमीटर स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,041 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 18,90,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी का दुरूपयोग न करने, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. लीज अनुबंध के पश्चात एवं खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मेरे द्वारा लीज क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों की कटाई नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने उपरांत ही की जावेगी। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

	संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 2.765 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Nearby, **Village- Gidhori**	
			Plantation around Village Pond	0.95
			Total	**0.95**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर नग वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 55 नग पौधों के लिए राशि 5,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,250 रूपये, खाद के लिए राशि 4,125 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 10,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 37,875 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 56,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गिधौरी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 206 व 207, क्षेत्रफल 0.696 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (फतेगंज आर्डिनरी स्टोन क्वारी) को ग्राम–फतेगंज, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा के खसरा क्रमांक 697/1, 697/2, 701/6, 701/2(पार्ट) एवं 701/14 में साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.765 हेक्टेयर एवं 3,00,105 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (फतेगंज आर्डिनरी स्टोन क्वारी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के तहत् तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी।

vi. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण के कार्यों की स्थिति के संबंध में त्रि–सदस्यीय समिति से प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. मेसर्स भिलाई–1 सेण्ड क्वारी (सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई), ग्राम–भिलाई, तहसील–चरामा, जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2768)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 452604 एवं 18/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3 हेक्टेयर एवं 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक 1 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री कैलाश हदगिया, सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई उपस्थित हुए।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत भिलाई दिनांक 10/02/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 05/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 12/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 12/10/2023	खदानों की संख्या निरंक हैं।
200 मीटर	दिनांक 12/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई दिनांक – 25/09/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर द्वारा जारी दिनांक 21/06/2023	वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक OA-1475 से दूरी – 5 कि.मी.

महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – भिलाई 750 मीटर, स्कूल ग्राम – भिलाई 1 कि.मी. अस्पताल – चारामा 4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 1.5 कि.मी. राज्यमार्ग – 30 कि.मी.	पुल – 3 कि.मी. ग्रामीण सड़क – 190 मीटर एनीकेट – 2.6 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 500 मीटर, न्यूनतम 430 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 276 मीटर, न्यूनतम 255 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 136 मीटर, न्यूनतम 118 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 273 मीटर, न्यूनतम 63 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3–4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–45,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 3 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.78 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 02 / 12 / 2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट में वृक्षारोपण के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 90, क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर) एवं पहुँच मार्ग (सहमति प्राप्त भूमि, खसरा क्रमांक 120) में वृक्षारोपण–600 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,41,500 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.एम.पी. के तहत खसरा क्रमांक 90 एवं पहुँच मार्ग के किनारे खसरा क्रमांक 120 पर	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:–

	वृक्षरोपण, सी.ई.आर. के तहत तालाब के किनारे खसरा क्रमांक 239 मे वृक्षारोपण, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा, रेत उत्खनन का कार्य मैन्युअल विधि द्वारा, भारी वाहनों का नदी मे प्रवेश निषेध, प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की आर एल सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत, एम.सी.आर. के तहत बाउंड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जावेगा। 2. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। 3. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 3.0 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		(in Lakh Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
22.83	2%	0.4566	Following activities at Nearby, Village- Bhilai	
			Plantation around Village Pond	0.474
			Total	**0.474**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन, बेल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 50 नग पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,500 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 17,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भिलाई के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 239) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित खदान (ग्राम–भिलाई) का रकबा 3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स भिलाई–1 सेण्ड क्वारी, सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई को ग्राम–भिलाई, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर, खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स भिलाई–1 सेण्ड क्वारी, सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग

द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत् तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

5. **मेसर्स पुरियारा सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत करप), ग्राम–पुरियारा, तहसील– नरहरपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2773)**

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 452618 एवं 20/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4 हेक्टेयर एवं 1,05,400 टन (62,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–165 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री दिलीप मंडावी, सरपंच एवं श्री धरमचंद सोनबेर, सचिव, ग्राम पंचायत करप उपस्थित हुये।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत करप दिनांक 04/02/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 02/11/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 04/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 09/11/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 09/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत करप दिनांक – 04/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर द्वारा जारी दिनांक 26/05/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 1.5 कि.मी
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– पुरियारा 900 मीटर स्कूल ग्राम– पुरियारा 1 कि.मी. अस्पताल – पतौद 2.7 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 9 कि.मी.	

	राज्यमार्ग-- 1 कि.मी.	
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 187 मीटर, न्यूनतम 69 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 783 मीटर, न्यूनतम 774 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 97 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 32 मीटर, न्यूनतम 0.0 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3–4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–62,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 2 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 15 / 12 / 2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण – 1000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत करप द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 441, क्षेत्रफल 0.58 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 11,49,290 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी

	सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है।

1. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 187 मीटर, न्यूनतम 69 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 32 मीटर, न्यूनतम 0.0 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 9,000 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 31,000 वर्गमीटर (3.1 हेक्टेयर) क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31	2%	0.62	Following activities at, Village- Puriyara	
			Plantation at Govt.	4.91

			Land	
			Total	4.91

सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण (बड़, पीपल, नीम, आम, इमली, अर्जुन, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 450 नग पौधों के लिए राशि 33,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 37,620 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,83,570 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,07,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 441) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुये जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–पुरियारा) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुये जानकारी/दस्तावेज को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स पुरियारा सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत करप) को ग्राम–पुरियारा, तहसील–नरहरपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, खसरा क्रमांक 165, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 9,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.1 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 27,900 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत करप के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 441 एवं क्षेत्रफल 0.58 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स पुरियारा सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत करप) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 441) में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

6. मेसर्स मिरौद सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत मिरौद), ग्राम–मिरौद, तहसील–चारामा, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2780)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 452935 एवं 21/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2 हेक्टेयर एवं 36,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–1 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री परौ राम जुर्री, सरपंच एवं श्री ईतवारी विश्वकर्मा, सचिव, ग्राम पंचायत भिरौद उपस्थित हुये।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत भिरौद दिनांक 24/01/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 05/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 12/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 12/10/2023	अन्य 1 खदान, रकबा 9 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 12/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत भिरौद दिनांक – 04/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	

वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल कांकेर द्वारा जारी दिनांक 14/03/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 7 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–भिरौद 1.15 कि.मी., चारामा 800 मीटर स्कूल ग्राम–चारामा 1.15 कि.मी अस्पताल– चारामा 2.25 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 1.15 कि.मी. राज्यमार्ग– 21.10 कि.मी.	एनीकट – 4.3 कि.मी. नाला– 1 कि.मी. तालाब – 690 मीटर सिचाई नहर – 1.9 कि.मी. रोड ब्रिज– 280 मीटर (खदान के डाउन स्ट्रीम में पुल स्थित है)
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 405 मीटर, न्यूनतम 397 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 153 मीटर, न्यूनतम 137 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 139 मीटर, न्यूनतम 137 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 54 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.13 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–36,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 2 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.13 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 11/05/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण – 400 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 12,26,000 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 11 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 05 दिसम्बर 2023 से प्रारंभ किया गया है।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक

13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

v. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayats for Plantation purpose in river bank.

vi. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.

vii. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

viii. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

7. मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री अभिनीत उपाध्याय), ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2117)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 81229 एवं 27/07/2022 ई.सी. – 451890 एवं 21/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.2 हेक्टेयर एवं 3,350 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	614/3, 615, 639/1, 639/2, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 644, 678, 695/3, 695/5 एवं 695/11	
भू–स्वामित्व	भूमि खसरा क्रमांक 615, 639/1, 641/1 श्रीमती मधु उपाध्याय एवं शेष खसरा आवेदक के नाम पर है।	उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अभिनीत उपाध्याय एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में पी एण्ड एम सॉलूशन की ओर से सुश्री पूनम मंगलम उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	

ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बेरलाकला दिनांक 02/11/2020	
उत्खनन योजना अनुमोदन	अनुमोदन दिनांक 13/06/2022 संशोधन दिनांक 29/12/2022	
500 मीटर	दिनांक 08/01/2024	अन्य 10 खदानें, रकबा 27.398 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 16/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं। 200 मीटर की परिधि में ग्रामीण कच्ची सड़क है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री अभिनीत उपाध्याय दिनांक –22/08/2018 वैधता अवधि –6 माह	वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 27/04/2022 वैधता अवधि – पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, बेमेतरा द्वारा जारी दिनांक 17/04/2018	
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बेरलाकला 503 मीटर स्कूल ग्राम – बेरलाकला 730 मीटर अस्पताल ग्राम – गुढ़ेली 4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 8 कि.मी. राज्यमार्ग – 8 कि.मी.	खारून नदी – 750 मीटर
पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 42,344 घनमीटर माईनेबल 33,839 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 11 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50% लीज क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित भठ्ठा– नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 3,350 घनमीटर द्वितीय 3,350 घनमीटर तृतीय 3,350 घनमीटर चतुर्थ 3,350 घनमीटर पंचम 3,350 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 872 वर्गमीटर	उत्खनित – नही

गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 3,189 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – रॉ मटेरियल के भण्डारण, कच्चे ईट के भण्डारण एवं सड़क के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हॉ
जल आपूर्ति	मात्रा – 9 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर सीमा पट्टी मे वृक्षारोपण – 436 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 10,10,002 रूपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 485, दिनांक 02/06/2023	1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग–दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 $PM_{2.5}$ – 24.16 से 46.81 $\mu g/m^3$ PM_{10} – 42.14 से 68.37 $\mu g/m^3$ SO_2 – 9.02 से 14.84 $\mu g/m^3$ NO_2 – 10.05 से 20.16 $\mu g/m^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 44.12 से 64.05 Night L_{eq} – 31.33 से 51.35 उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।	गुणवत्ता मापन स्थलः परिवेशीय वायु – 12 भू–जल – 12 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 12 मिट्टी के नमूने – 12 उक्त मॉनिटरिंग की पुष्टि हेतु पंचनामा एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही फ्लोरा एवं फौना की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
पी.सी.यू. की गणना	रोड हेतु – वर्तमान में 1500 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.1 परियोजना उपरांत 1572 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.1	रोड़ हेतु – लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक A (Excellent) के भीतर है।
जी.एल.सी. की गणना	PM_{10} का अधिकतम मान 57.8 $\mu g/m^3$	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 25/09/2023 समय – पूर्वान्ह 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन के सामने स्थित मैदान, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 30/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	लोकसुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य/ग्रामीणों द्वारा खदान का समर्थन करते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु कहा गया। ग्रामीणों द्वारा खदान के प्रति किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोजगार हेतु ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है।
सी.ई.एम.पी.	क्लस्टर में कुल 11 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 43,73,800 रूपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिताः प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि–3,27,288 रूपये

परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोकसुनवाई के दौरान दिये गये समस्त आश्वासन पूर्ण करने, सी.ई.एम.पी. के तहत् तय राशि का पर्यावरण हित में उपयोग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, ग्राम वासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित करने, एम.सी.आर. के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन करने, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, समिति द्वारा निहीत शर्तो के पालन करने, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत एवं वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत करने बाबत्, ई.सी., सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, एन. जी.टी. आदि द्वारा सामान्य कारण की लागू शर्तो का पालन करने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Write Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Comon Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations. 2. We, will Comply the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-1A.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activites on Habitations. Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area. 3. We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred. Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification 2006 as amended from time to time. 4. We will Comply, an undertaking that there is no court case case pending relating to this project before any Court of Law in India. 5. We will comply, an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O 804 (E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India given by Hon'ble Supreme Court India and the direction of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 29.598 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
43	2%	0.86	Following activities at Nearby, **Village- Berlakala**	
			Pavitra van nirman	12.78
			Total	**12.78**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण (आम, नीम, करंज, कदम्ब, आवला, अमलतास एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 640 नग पौधों के लिए राशि 98,640, फेंसिंग के लिए राशि 73,400 रूपये, खाद के लिए राशि 4,800 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,840 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,85,376 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बेरलाकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 701, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री अभिनीत उपाध्याय) को ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के खसरा क्रमांक 614/3, 615, 639/1, 639/2, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 644, 678, 695/3, 695/5 एवं 695/11 में मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.2 हेक्टेयर, क्षमता–3,350 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री अभिनीत उपाध्याय) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 1 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई. ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

8. मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री दयाराम यादव), ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2116)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 81033 एवं 27/07/2022 ई.सी. – 452586 एवं 21/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.47 हेक्टेयर एवं 2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 609/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 616, 617, 611, 613, 610 एवं 602	
भू–स्वामित्व	भूमि खसरा क्रमांक 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 609/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 616 एवं 617 श्रीमती रेखा यदु एवं शेष खसरा आवेदक के नाम पर है।	उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री दयाराम यादव, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री पूनम मंगलम उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बेरलाकला दिनांक 02/11/2020	
उत्खनन योजना अनुमोदन	अनुमोदन दिनांक 13/06/2022 संशोधन दिनांक 29/12/2022	

500 मीटर	दिनांक 08/01/2024	10 खदानें, रकबा 25.128 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 16/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री दयाराम यादव दिनांक –23/08/2018 वैधता अवधि –6 माह	वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 27/04/2022 वैधता अवधि – पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, बेमेतरा द्वारा जारी दिनांक 17/04/2018	
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बेरलाकला 560 मीटर स्कूल ग्राम – बेरलाकला 560 मीटर अस्पताल ग्राम – बेरलाकला 560 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग – 8 कि.मी. राज्यमार्ग – 22 कि.मी.	खारून नदी – 872 मीटर
पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 89,400 घनमीटर माईनेबल 73,095 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50% लीज क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित भठ्ठा – नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 2,500 घनमीटर द्वितीय 2,500 घनमीटर तृतीय 2,500 घनमीटर चतुर्थ 2,500 घनमीटर पंचम 2,500 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 1,046 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 6,874 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – रॉ–मटेरियल एवं कच्चे ईट के भण्डारण के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
जल आपूर्ति	मात्रा – 9 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर सीमा पट्टी मे वृक्षारोपण – 523 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 14,34,176 रूपये

जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 487, दिनांक 02/06/2023	1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग–दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 $PM_{2.5}$ – 24.16 से 46.81 $\mu g/m^3$ PM_{10} – 42.14 से 68.37 $\mu g/m^3$ SO_2 – 9.02 से 14.84 $\mu g/m^3$ NO_2 – 10.05 से 20.16 $\mu g/m^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 44.12 से 64.05 Night L_{eq} – 31.33 से 51.35 उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।	गुणवत्ता मापन स्थल: परिवेशीय वायु – 12 भू–जल – 12 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 12 मिट्टी के नमूने – 12 उक्त मॉनिटरिंग की पुष्टि हेतु पंचनामा एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही फ्लोरा एवं फौना की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
पी.सी.यू. की गणना	रोड़ हेतु – वर्तमान में 1500 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.1 परियोजना उपरांत 1572 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.1	रोड़ हेतु – लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक A (Excellent) के भीतर है।
जी.एल.सी. की गणना	PM_{10} का अधिकतम मान 57.8 $\mu g/m^3$	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 25/09/2023 समय – पूर्वान्ह 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन के सामने स्थित मैदान, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 30/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	लोकसुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य/ग्रामीणों द्वारा खदान का समर्थन करते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु कहा गया। ग्रामीणों द्वारा खदान के प्रति किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोजगार हेतु ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है।
सी.ई.एम.पी.	क्लस्टर में कुल 11 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 43,73,800 रूपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि–6,61,771 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोकसुनवाई के दौरान दिये गये समस्त आश्वासन पूर्ण करने, सी.ई.एम.पी. के तहत् तय राशि का पर्यावरण हित में उपयोग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, ग्राम वासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित करने, एम.सी.आर. के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन करने, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Write Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Comon Cause Vs Union of India and Others before commencing

	एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, समिति द्वारा निहीत शर्तो के पालन करने, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत एवं वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत करने बाबत्, ई.सी., सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, एन. जी.टी. आदि द्वारा सामान्य कारण की लागू शर्तो का पालन करने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	the mining operations. 2. We, will Comply the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-1A.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activites on Habitations. Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area. 3. We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred. Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification 2006 as amended from time to time. 4. We il Comply, an undertaking that there is no court case case pending relating to this project before any Court of Law in India. 5. We will comply, an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O 804 (E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India given by Hon'ble Supreme Court India and the direction of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 29.598 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

		Rupees)		(in Lakh Rupees)
74	2%	1.48	Following activities at Nearby, **Village- Berlakala**	
			Pavitra van nirman	12.78
			Total	**12.78**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण (आम, नीम, करंज, कदम्ब, आवला, अमलतास एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 640 नग पौधों के लिए राशि 98,640, फेंसिंग के लिए राशि 73,400 रूपये, खाद के लिए राशि 4,800 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,840 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,85,376 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बेरलाकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 701, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री दयाराम यादव) को ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के खसरा क्रमांक 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 609/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 616, 617, 611, 613, 610 एवं 602 में मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.47 हेक्टेयर, क्षमता–2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 164वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री दयाराम यादव) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 1 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई. ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

9. **मेसर्स शिकारी केशली लो ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय मक्कड़), ग्राम–शिकारी केशली, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2778)**

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 452941 एवं 21/11/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.405 हेक्टेयर एवं 70,875 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	616/1, 616/2, 631/2, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 633, 634, 637/17 एवं 637/18	
भू–स्वामित्व	खसरा क्रमांक 634 एवं 631/2 श्री पुरूषोत्तम एवं शेष अन्य खसरे आवेदक के नाम पर है।	
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री संजय मक्कड़, प्रोपराईट उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत शिकारी केशली दिनांक 31/12/2013 10 वर्ष हेतु वैध थी।	उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 08/11/2023	
500 मीटर	दिनांक 22/09/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 22/09/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री संजय मक्कड़ दिनांक – 21/07/2023 अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डालाधिकरी, बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 05/01/2023	वन क्षेत्र खैरवारडीह से दूरी – 11.46 कि.मी. वन क्षेत्र सूमा से दूरी – 16.16 कि.मी. वन क्षेत्र सिमगा से दूरी – 25.94 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– शिकारी केशली 850 मीटर स्कूल ग्राम – शिकारी केशली 850 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग – 21 कि.मी. राज्यमार्ग – 10 कि.मी.	महानदी – 33 कि.मी. जमुनिया नाला – 2.7 कि.मी. शिवनाथ नदी – 17 कि.मी.

पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स–** जियोलॉजिकल 15,03,125 टन माईनेबल 7,98,342 टन रिकव्हरेबल 7,58,425 टन प्रस्तावित गहराई 25.5 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 14.47 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – 1,540 वर्गमीटर	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 54,180 टन द्वितीय 57,300 टन तृतीय 46,245 टन चतुर्थ 70,875 टन पंचम 47,145 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,085 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 0.78 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – सड़क	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 0.5 मीटर मात्रा – 8,795 घनमीटर	4,550 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 4,245 घनमीटर को गैर माईनिंग क्षेत्र (लीज क्षेत्र के भीतर) में भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,101 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 5,24,870 रूपये
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.405 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल को गूगल के माध्यम से अवलोकन किये जाने पर एवं कॉन्सेप्चुअल प्लान में प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में स्थापित क्रशर का कुछ भाग प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में आने वाले क्रशर के भाग को हटाये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
46.44	2%	0.9288	Following activities at Near by Govt. Primary School, **Village- Shikari keshli**	
			Plantation with fencing	1.205
			Total	**1.205**

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, अमरूद, कटहल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 6,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 77,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 43,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में आने वाले क्रशर के भाग को हटाये जाने के संबंध में शपथ पत्र

(Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शिकारी केशली लो ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय मक्कड़) को ग्राम–शिकारी केशली, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 616/1, 616/2, 631/2, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 633, 634, 637/17 एवं 637/18 में चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.405 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता – 70,875 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/03/2024 के माध्यम से निम्न जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:–

1. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत शिकारी केशली का दिनांक 31/12/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही पुनः प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग 2023 में उत्खनन पट्टा खोलने के लिए किया है। परंतु खदान प्रारंभ नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि 10 वर्षो की है, जिसका उपयोग नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एक ही बार लिया जाता है। अतः प्रस्तुत ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत शिकारी केशली का दिनांक 16/11/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में आने वाले क्रशर के भाग को हटाये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स शिकारी केशली लो ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय मक्कड़) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन

कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के तहत् तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

10. मेसर्स विष्णु प्रसाद ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.–श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता), ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2423)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425464/ 2023, दिनांक 15/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) (बिना चिमनी भट्ठा के) खदान है। खदान ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 253/4 एवं 252, कुल क्षेत्रफल–2.529 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शशि रंजन साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उपरकछार का दिनांक 24/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 833–35/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 27/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 737/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक

24/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 736/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शिनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 252 श्री विष्णु प्रसाद साहू तथा श्री घनश्याम प्रसाद एवं खसरा क्रमांक 253/4 श्री अमृत कुमार, श्री ईग्नासियुस एवं श्री प्रदीप कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत किये गए है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री विष्णु प्रसाद साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जशपुर, के ज्ञापन क्रमांक 584/खनि.शा. /2023 जशपुर, दिनांक 30/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2020/3952 जशपुर, दिनांक 10/08/2020 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–उपरकछार 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–उपरकछार 1 कि.मी. एवं अस्पताल लठबोरा 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। तालाब 540 मीटर एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क 130 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 50,580 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 43,920 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 42,602 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 832 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी भठ्ठा स्थापित नहीं किया जाएगा। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	4,000
द्वितीय	4,000
तृतीय	4,000
चतुर्थ	4,000
पंचम	4,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कम से कम 3 पंक्तियों में कुल 450 नग वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 30 वर्गमीटर क्षेत्र को वृक्ष एवं 28 वर्गमीटर क्षेत्र को ट्यूब वेल होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.83	2%	0.2566	Following activities at, **Govt. Primary School, Lathbora**	
			Plantation	0.631
			Total	**0.631**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लठबोरा में (नीम, पीपल, आम, कदम, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 8,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 37,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 25,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण करने हेतु शासकीय प्राथमिक शाला लठबोरा के प्रधान पाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्के ईंटों का निर्माण) हेतु कहां–कहां, किन–किन भट्टों में

उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति/सम्मति प्राप्त है अथवा नहीं? इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज क्षेत्र के भीतर सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कम से कम 3 पंक्तियों में कुल 450 नग वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्के ईंटों का निर्माण) हेतु कहां–कहां, किन–किन भट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति/सम्मति प्राप्त है अथवा नहीं? इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हे भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
5. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यो की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की आवश्यकता पड़नें पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई एश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।
9. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 12/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. लीज क्षेत्र के भीतर सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 450 नग वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्के ईंटों का निर्माण) हेतु लीज क्षेत्र से लगा हुआ स्वयं के ईट भट्टा मेसर्स विष्णु प्रसाद गुप्ता ब्रिक अर्थ माईन में किया जाना बताया गया है। मेसर्स विष्णु प्रसाद गुप्ता ब्रिक अर्थ माईन को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 15/09/2016 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी है। मेसर्स विष्णु ब्रिक इंण्डस्ट्री, ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 253/2 एवं 253/3, मिट्टी उत्खनन क्षमता 3,000 घनमीटर (20,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 16/01/2023 में जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार किया जाएगा।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह मान्य होगी तथा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

5. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यो की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की आवश्यकता पड़नें पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।

9. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

16. समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेजों (पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति) में आवेदित खदान से लगी हुई स्वयं की एक अन्य खदान संचालित है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),

जिला–जशपुर के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ अद्यतन स्थिति में आवेदित खदान से 500 मीटर {ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।} की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** स्पष्टीकरण के साथ अद्यतन स्थिति में आवेदित खदान से 500 मीटर {ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।} की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/12/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 672/खनि. शा./2023 जशपुर, दिनांक 06/12/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 01 खदान, क्षेत्रफल 2.428 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–उपरकछार) का क्षेत्रफल 2.529 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–उपरकछार) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.957 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स विष्णु प्रसाद ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता) को ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 253/4 एवं 252 में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) (बिना चिमनी भट्ठा के) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.529 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता – 4,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स विष्णु प्रसाद ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 1 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् एवं लीज क्षेत्र के 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स कोंटा सेण्ड क्वारी (मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कोंटा), ग्राम–कोंटा, तहसील–कोंटा, जिला–सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2400)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428184/2023, दिनांक 06/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोंटा, नगर पंचायत कोंटा, तहसील–कोंटा, जिला–सुकमा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 374, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शबरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 13/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री के.टी. सुरेश कुमार (सहायक राजस्व निरीक्षक), अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि शबरी नदी छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी बारहमासी नदी है, जो वन क्षेत्रों से होकर बहती है तथा यह सदा–नीरा नदी है। इस नदी में चट्टान, रेत, जंगली घास तथा नदी जल सभी सामूहिक रूप से मिलकर एक विशिष्ट प्रजाति के झींगें का प्राकृतिक रहवास बनाती है। इस झींगे की विशिष्ट प्रजाति का शबरी नदी विशिष्ट रहवास है इसलिए झींगे की यह प्रजाति शबरी नदी में ही पायी जाती है। झींगे की यह प्रजाति आकार में लगभग 10 इंच तक तथा गहरे भूरे और काले रंग की होती है। स्थानीय आदिवासियों का यह प्राकृतिक परम्परागत आहार भी रहा है। झींगे की यह विशिष्ट प्रजाति फ्रेश वॉटर/रिवर वॉटर में पायी जाने वाली बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, जिसका प्राकृतिक रहवास में संरक्षण एवं संर्वधन की महती आवश्यकता है।

शबरी नदी में प्रवाहित जल, नदी तल में स्थित चट्टानों के कारण Static और Flowing दोनों प्रकृति का है। इसके फलस्वरूप यह विशिष्ट झींगा प्रजाति के लिए उत्तम प्रजनन केन्द्र का निर्माण करता है। झींगे की यह विशिष्ट प्रजाति शबरी नदी के Perrenial Fresh water Riverine ecosystem में endemic nature की है शबरी नदी अपनी पूरी लंबाई में Rare Perrenial fresh water wet land ecosystem के रूप में स्थित है, जो इस प्रकार की छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी है, जो सुकमा, कोंटा एवं नदी किनारे वनक्षेत्रों, आदिवासी ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा भी है। शबरी नदी में रेत उत्खनन की किसी भी अनुमति से झींगे की विशिष्ट एवं दुर्लभ प्रजाति के

प्राकृतिक रहवास को आघात/हानि पहुँचने की आशंका है, जिससे इस दुर्लभ प्रजाति के लुप्त होने का हमेशा खतरा बना रहेगा। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक, मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ को शबरी नदी के झींगा के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है:–

1. शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी।
2. शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological System) की जानकारी।
3. शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे (Prawn) की विस्तृत जानकारी।
4. रेत उत्खनन से इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजाति के झींगे (Prawn) के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी?
5. क्या यह प्राकृतिक झींगें की दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती है?
6. शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक मत्सय पालन विभाग, छत्तीसगढ़ को नदी के झींगा के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए:–

1. शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी।
2. शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological System) की जानकारी।
3. शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे (Prawn) की विस्तृत जानकारी।
4. रेत उत्खनन से इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजाति के झींगे (Prawn) के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी?
5. क्या यह प्राकृतिक झींगें की दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती है?
6. शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।

उपरोक्त जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/08/2023 के परिपेक्ष्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक मत्सय पालन विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा क्रमशः दिनांक 19/12/2023 एवं 05/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रेषित किया गया।

(ब) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. संचालक, संचालनालय, मछली पालन छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3337, दिनांक 27/09/2023 द्वारा उपरोक्त चाही गई 6 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित की गई है, जिसमें से आवेदित खदान के परिपेक्ष्य में बिन्दु क्रमांक 01 से 06 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

"1. **शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी**

मछली के प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय स्थिति
कतला	कतला	कतला–कतला	अच्छी है
रोहु	रूई	लिबियो रोहिता	अच्छी है
मृगल	मृगल	सिरहीनस मृगला	अच्छी है
चिपा	चिपा	वेलेगो अट्ट	औसत
टेगंरा	टेगना	माइसटस केवीसियस	औसत
चिताला	चिताला	नोटोपटेरस चिताला	औसत
सुआन	सुआन	जेनटाडोन कोनसीला	विलुप्तप्राय
ईल मछली	दुडुम	एंगुइलिडी	विलुप्तप्राय
सिंघी	सिंघी	हैटेरोपनेस्टस फोसिला	औसत
खोखसी	खोखसी	च्ना स्ट्राइटस	औसत
ब्लेक रोहु	काला रूई	लेबियो कालबासु	औसत
बामी	बामी	माइटस सिम्बेलस आरमेटस	विलुप्तप्राय
कोतरी	कोतरी	पंगटियस टिकटो	औसत
सिघाड	सिघाड	मिस्टस सीघाला	औसत
झींगा	झींगा	Macrobrachium rosenbergii	संकटापन श्रेणी
सरागी	सरांगी	चेला बकेली	औसत
मागुर	मोगरी	क्लेरियस बेटरेकस	विलुप्तप्राय

2. **शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological) की जानकारी**

शबरी नदी का उद्गम स्थल ओडिसा के एवं छत्तीसगढ के बैलाडीला की पहाड़ीयों से माना गया है। यह नदी सुकमा की दक्षिणी पूर्वी सीमा से बहती हुई 94 कि.मी. का सफर तय कर आन्ध्रप्रदेश के कुनावरम के निकट गोदावरी में जाकर मिल जाती है। यह अपने अन्दर विभिन्न जैव प्रजाति एवं पादपो को समाये हुऐ है तथा यह क्षेत्र मत्स्य पालन एवं मत्स्य जीव मुख्यतः झींगा बढवार के लिए उपयुक्त है।

3. **शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे की विस्तृत जानकारी**

- झींगा फायलम आर्थोपोडा फेमीली कस्टेशियन का सदस्य है। इसकी कई प्रजातियां मीठे तथा कई प्रजातियां खारे जल में पाई जाती है, कुछ प्रजातियां अपना जीवन चक्र मीठे तथा खारे जल दोनों में मिलाकर पूरी करते हैं।
- मुख्यतः शबरी नदी में **Macrobrachium rosenbergii** पाई जाती है।
- स्वभाव से झींगा ओमनीवोरस, बाटम फीडर, नोक्टरनल (रात्रि चर) तथा केनाब्लॉटीक होते हैं। इसमें शरीर की वृद्धी के साथ–साथ मोल्टींग होती है।
- सडे गले पौधे कीड़े मकोडे कृमी घोघे सीपी तथा जन्तु प्लावक आदि इनका प्राकृतिक भोजन है। इसके अतिरिक्त परिपूरक आहार के रूप में पैलेट फीड भी दिया जा सकता है।

4. **रेत उत्खनन में इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजातिं के झींगे के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी**

- रेत के उत्खनन में से जलीय जीवो का प्राकृतिक रहवास नष्ट हो जाते है।
- झींगो के प्राकृतिक आवास नष्ट होने से प्रजनको द्वारा नये आवास के तलाश के समय कई जलीय जीवो एवं मनुष्यो द्वारा खत्म कर दिये जाते है।
- रेत के उत्खनन से निश्चित क्षेत्र मे पाये जाने वाले झींगा का समुह खत्म हो जाते हैं।
- रेत के अधिक दोहन से नदी में झींगे की वंश वृद्धि मे लगातार गिरावट दर्ज होती रही है। जिससे यह प्रजाति शबरी नदी में संकटग्रस्त स्थति में आ चुके है।

5. **क्या यह प्राकृतिक झींगे के दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती मैकोब्रिकियम रोजनवर्गी:–**

- शबरी नदी में इस प्रजाति के प्राकृतिक आवास एवं प्रजनन योग्य क्षेत्रों के नष्ट होने से इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है।
- इनकी प्राकृतिक आवासो को नष्ट करने के साथ–साथ अधिक आर्थिकी के लालच में विषैले पदार्थो प्रयोग कर नष्ट करने का कार्य किया जाता रहा है।
- Macrobrachium rosenbergii की प्रजाति वर्तमान समय में शबरी नदी में संकटापन्न श्रेणी में है।

6. **शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।**

शबरी नदी भारत के छत्तीसगढ़, ओड़िशा और आंध्रप्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह गोदावरी नदी की एक प्रमुख उपनदी है। शबरी नदी उदगम उडीसा के कोरापुट जिले के पहाड़ियों से हुआ हैं।

छत्तीसगढ में इसका उदग्म बैलाडीला के नंदिराज शिखर (नन्दपुर पर्वत) से माना जाता है। यह गोदावरी नदी की सबसे बडी सहायक नदी है। छत्तीसगढ राज्य मे कुल लम्बाई 173 किमी. हैं। यह तेंलगाना राज्य के कुनावरम के निकट गोदावरी में मिल जाती हैं।

विशेष :– यह नदी छत्तीसगढ और उड़ीसा के मध्य सीमा बनाती हैं। इस नदी में छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले और तेलंगाना कुनावरम के मध्य 36 किमी. जल मार्ग पर स्टीमर तथा नाव द्वारा परिवहन होता है।

परियोजना :– उडीसा मे इस नदी को कोलाब के नाम से जाना जाता हैं। कोलाब नाम से ही इस नदी पर उड़ीसा में बहुउद्देशीय योजना हैं। 3 अप्रैल 2017 को शबरी नदी और छत्तीसगढ़ के मध्य पुल का उद्घाटन किया गया। शबरी नदी पार ओडिसा जाने के झाराघाट और दोरनपाल में पहले ही दो पुल निर्मित किये जा चुके हैं।

इसकी 03 सहायक नदियां जो कांगेर, मालेंगर, पोटेरु है। यह नदी सुकमा जिले के रानीदरहा, मडवा एवं गुप्तेश्वर में जलप्रपात बनाती हैं।"

2. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य जैव–विविधता बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3138, दिनांक 19/12/2023 द्वारा उपरोक्त चाही गई 6 बिन्दुओं की जानकारी के संबंध में कथन है कि "छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड में उपरोक्त प्रकार के सर्वे हेतु पर्याप्त विशेषज्ञ अमला नहीं है। बोर्ड द्वारा यह सर्वे इम्पैनल्ड विशेषज्ञ संस्थाओं से कराया जा सकता है। विशेषज्ञ संस्थाओं से सर्वे कराए जाने हेतु लगभग राशि रू. 5.00 लाख का व्यय (प्रोजेक्ट तैयार करने, मानदेय, बोर्डिंग/लॉजिंग, यात्रा आदि अन्य) अनुमानित है। अतः शबरी नदी में उपरोक्त सर्वे कार्य हेतु राशि रु. 5.00 लाख बोर्ड को उपलब्ध कराने का अनुरोध है।"

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** संचालक, संचालनालय, मछली पालन छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर आवेदित खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को विशेष रूप से लेख किया जाए कि झिंगा की विशिष्ट प्रजाति जो संकटापन्न स्थिति में है उसके संरक्षण की आवश्यकता को संज्ञान लेकर शबरी नदी में कोई भी रेत उत्खनन हेतु लीज की स्वीकृति न दी जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि Macrobrachium rosenbergii (झिंगा) की प्रजाति मुख्यतः शबरी नदी में पाया जाता है। अतः इनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही रेत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये नगर पालिक निगम द्वारा मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ से सलाह लिया जाकर जिस स्थल में संकटापन्न श्रेणी में आने वाले प्रजाति न हो, को ध्यान में रख कर अन्यत्र उपयुक्त स्थल पर रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदन किये जाने पर विचार किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स सुकमा सेण्ड क्वारी (मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सुकमा) ग्राम–सुकमा, तहसील व जिला–सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2401)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428234/2023, दिनांक 06/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सुकमा, तहसील व जिला–सुकमा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 138, कुल क्षेत्रफल–4.928 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शबरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–49,280 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजू कुमार, सहायक राजस्व निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि शबरी नदी छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी बारहमासी नदी है, जो वन क्षेत्रों से होकर बहती है तथा यह सदा–नीरा नदी है। इस नदी में चट्टान, रेत, जंगली घास तथा नदी जल सभी सामूहिक रूप से मिलकर एक विशिष्ट प्रजाति के झींगें का प्राकृतिक रहवास बनाती है। इस झींगे की विशिष्ट प्रजाति का शबरी नदी विशिष्ट रहवास है इसलिए झींगे की यह प्रजाति शबरी नदी में ही पायी जाती है। झींगे की यह प्रजाति आकार में लगभग 10 इंच तक तथा गहरे भूरे और काले रंग की होती है। स्थानीय आदिवासियों का यह प्राकृतिक परम्परागत आहार भी रहा है। झींगे की यह विशिष्ट प्रजाति फ्रेश वॉटर/रिवर वॉटर में पायी जाने वाली बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, जिसका प्राकृतिक रहवास में संरक्षण एवं संवर्धन की महती आवश्यकता है।

शबरी नदी में प्रवाहित जल, नदी तल में स्थित चट्टानों के कारण Static और Flowing दोनों प्रकृति का है। इसके फलस्वरूप यह विशिष्ट झींगा प्रजाति के लिए उत्तम प्रजनन केन्द्र का निर्माण करता है। झींगे की यह विशिष्ट प्रजाति शबरी नदी के Perrenial Fresh water Riverine ecosystem में endemic nature की है शबरी नदी अपनी पूरी लंबाई में Rare Perrenial fresh water wet land ecosystem के रूप में स्थित है, जो इस प्रकार की छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी है, जो सुकमा, कोंटा एवं नदी किनारे वनक्षेत्रों, आदिवासी ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा भी है। शबरी नदी में रेत उत्खनन की किसी भी अनुमति से झींगे की विशिष्ट एवं दुर्लभ प्रजाति के प्राकृतिक रहवास को आघात/हानि पहुँचने की आशंका है, जिससे इस दुर्लभ प्रजाति के लुप्त होने का हमेशा खतरा बना रहेगा। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक, मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ को शबरी नदी के झींगा के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है:–

1. शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी।
2. शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological System) की जानकारी।
3. शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे (Prawn) की विस्तृत जानकारी।
4. रेत उत्खनन से इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजाति के झींगे (Prawn) के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी?
5. क्या यह प्राकृतिक झींगें की दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती है?
6. शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक मत्सय पालन विभाग, छत्तीसगढ़ को नदी के झींगा के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए:–

1. शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी।

2. शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological System) की जानकारी।

3. शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे (Prawn) की विस्तृत जानकारी।

4. रेत उत्खनन से इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजाति के झींगे (Prawn) के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी?

5. क्या यह प्राकृतिक झींगें की दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती है?

6. शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2023 के परिपेक्ष्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक मत्सय पालन विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा क्रमशः दिनांक 19/12/2023 एवं 04/01/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रेषित किया गया।

(ब) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. संचालक, संचालनालय, मछली पालन छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 46, दिनांक 04/01/2024 द्वारा उपरोक्त चाही गई 6 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित की गई है, जिसमें से आवेदित खदान के परिपेक्ष्य में बिन्दु क्रमांक 01 से 06 में उल्लेखित तथ्य निम्न हैः–

"**1. शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी**

मछली के प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय स्थिति
कतला	कतला	कतला–कतला	अच्छी है
रोहु	रूई	लिबियो रोहिता	अच्छी है
मृगल	मृगल	सिरहीनस मृगला	अच्छी है
चिपा	चिपा	वेलेगो अट्ट	औसत
टेगंरा	टेगना	माइसटस केवीसियस	औसत
चिताला	चिताला	नोटोपटेरस चिताला	औसत
सुआन	सुआन	जेनटाडोन कोनसीला	विलुप्तप्राय
ईल मछली	दुडुम	एंगुइलिडी	विलुप्तप्राय
सिंघी	सिंघी	हैटेरोपनेस्टस फोसिला	औसत
खोखसी	खोखसी	च्ना स्ट्राइटस	औसत
ब्लेक रोहु	काला रूई	लेबियो कालबासु	औसत
बामी	बामी	माइटस सिम्बेलस आरमेटस	विलुप्तप्राय
कोतरी	कोतरी	पंगटियस टिकटो	औसत
सिघाड	सिघाड	मिस्टस सीघाला	औसत
झींगा	झींगा	Macrobrachium rosenbergii	संकटापन श्रेणी

सरागी	सरांगी	चेला बकेली	औसत
मागुर	मोगरी	क्लेरियस बेटरेकस	विलुप्तप्राय

2. **शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological) की जानकारी**

शबरी नदी का उद्गम स्थल ओडिसा के एवं छत्तीसगढ के बैलाडीला की पहाड़ीयों से माना गया है। यह नदी सुकमा की दक्षिणी पूर्वी सीमा से बहती हुई 94 कि.मी. का सफर तय कर आन्ध्रप्रदेश के कुनावरम के निकट गोदावरी में जाकर मिल जाती है। यह अपने अन्दर विभिन्न जैव प्रजाति एवं पादपो को समाये हुऐ है तथा यह क्षेत्र मत्स्य पालन एवं मत्स्य जीव मुख्यतः झींगा बढवार के लिए उपयुक्त है।

3. **शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे की विस्तृत जानकारी**

- झींगा फायलम आर्थोपोडा फेमीली कस्टेशियन का सदस्य है। इसकी कई प्रजातियां मीठे तथा कई प्रजातियां खारे जल में पाई जाती है, कुछ प्रजातियां अपना जीवन चक्र मीठे तथा खारे जल दोनों में मिलाकर पूरी करते हैं।
- मुख्यतः शबरी नदी में **Macrobrachium rosenbergii** पाई जाती है।
- स्वभाव से झींगा ओमनीवोरस, बाटम फीडर, नोक्टरनल (रात्रि चर) तथा केनाब्लॉटीक होते हैं। इसमें शरीर की वृद्धी के साथ–साथ मोल्टींग होती है।
- सडे गले पौधे कीड़े मकोडे कृमी घोघे सीपी तथा जन्तु प्लावक आदि इनका प्राकृतिक भोजन है। इसके अतिरिक्त परिपूरक आहार के रूप में पैलेट फीड भी दिया जा सकता है।

4. **रेत उत्खनन में इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजातिं के झींगे के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी**

- रेत के उत्खनन में से जलीय जीवो का प्राकृतिक रहवास नष्ट हो जाते है।
- झींगो के प्राकृतिक आवास नष्ट होने से प्रजनको द्वारा नये आवास के तलाश के समय कई जलीय जीवो एवं मनुष्यो द्वारा खत्म कर दिये जाते है।
- रेत के उत्खनन से निश्चित क्षेत्र मे पाये जाने वाले झींगा का समुह खत्म हो जाते है।
- रेत के अधिक दोहन से नदी में झींगे की वंश वृद्धि मे लगातार गिरावट दर्ज होती रही है। जिससे यह प्रजाति शबरी नदी में संकटग्रस्त स्थति में आ चुके है।

5. **क्या यह प्राकृतिक झींगे के दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती मैकोब्रिकियम रोजनवर्गी:–**

- शबरी नदी में इस प्रजाति के प्राकृतिक आवास एवं प्रजनन योग्य क्षेत्रों के नष्ट होने से इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है।
- इनकी प्राकृतिक आवासो को नष्ट करने के साथ–साथ अधिक आर्थिकी के लालच में विषैले पदार्थो प्रयोग कर नष्ट करने का कार्य किया जाता रहा है।

- Macrobrachium rosenbergii की प्रजाति वर्तमान समय में शबरी नदी में संकटापन्न श्रेणी में है।

6. **शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।**

शबरी नदी भारत के छत्तीसगढ़, ओड़िशा और आंध्रप्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह गोदावरी नदी की एक प्रमुख उपनदी है। शबरी नदी उदगम उडीसा के कोरापुट जिले के पहाड़ियों से हुआ हैं।

छत्तीसगढ में इसका उदग्म बैलाडीला के नंदिराज शिखर (नन्दपुर पर्वत) से माना जाता है। यह गोदावरी नदी की सबसे बडी सहायक नदी है। छत्तीसगढ राज्य मे कुल लम्बाई 173 किमी. हैं। यह तेंलगाना राज्य के कुनावरम के निकट गोदावरी में मिल जाती हैं।

विशेष :– यह नदी छत्तीसगढ और उड़ीसा के मध्य सीमा बनाती हैं। इस नदी में छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले और तेलंगाना कुनावरम के मध्य 36 किमी. जल मार्ग पर स्टीमर तथा नाव द्वारा परिवहन होता है।

परियोजना :– उडीसा मे इस नदी को कोलाब के नाम से जाना जाता हैं। कोलाब नाम से ही इस नदी पर उड़ीसा में बहुउद्देशीय योजना हैं। 3 अप्रैल 2017 को शबरी नदी और छत्तीसगढ़ के मध्य पुल का उद्घाटन किया गया। शबरी नदी पार ओडिसा जाने के झाराघाट और दोरनपाल में पहले ही दो पुल निर्मित किये जा चुके हैं।

इसकी 03 सहायक नदियां जो कांगेर, मालेंगर, पोटेरु है। यह नदी सुकमा जिले के रानीदरहा, मडवा एवं गुप्तेश्वर में जलप्रपात बनाती हैं।"

2. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य जैव–विविधता बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3140, दिनांक 19/12/2023 द्वारा उपरोक्त चाही गई 6 बिन्दुओं की जानकारी के संबंध में कथन है कि "छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड में उपरोक्त प्रकार के सर्वे हेतु पर्याप्त विशेषज्ञ अमला नहीं है। बोर्ड द्वारा यह सर्वे इम्पैनल्ड विशेषज्ञ संस्थाओं से कराया जा सकता है। विशेषज्ञ संस्थाओं से सर्वे कराए जाने हेतु लगभग राशि रू. 5.00 लाख का व्यय (प्रोजेक्ट तैयार करने, मानदेय, बोर्डिंग/लॉजिंग, यात्रा आदि अन्य) अनुमानित है। अतः शबरी नदी में उपरोक्त सर्वे कार्य हेतु राशि रु. 5.00 लाख बोर्ड को उपलब्ध कराने का अनुरोध है।"

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि संचालक, संचालनालय, मछली पालन छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर आवेदित खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को विशेष रूप से लेख किया जाए कि झिंगा की विशिष्ट प्रजाति जो संकटापन्न स्थिति में है उसके संरक्षण की आवश्यकता को संज्ञान लेकर शबरी नदी में कोई भी रेत उत्खनन हेतु लीज की स्वीकृति न दी जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया

गया कि Macrobrachium rosenbergii (झिंगा) की प्रजाति मुख्यतः शबरी नदी में पाया जाता है। अतः इनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही रेत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये नगर पालिक निगम द्वारा मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ से सलाह लिया जाकर जिस स्थल में संकटापन्न श्रेणी में आने वाले प्रजाति न हो, को ध्यान में रख कर अन्यत्र उपयुक्त स्थल पर रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदन किये जाने पर विचार किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स साजापानी आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकींग गिट्टी (प्रो.– श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग), ग्राम–साजापानी, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2352)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 423204/ 2023, दिनांक 25/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–साजापानी, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 565/4 एवं 565/21, कुल क्षेत्रफल–1.436 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,715 टन (5,275 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 09/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप कुमार गर्ग, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत साजापानी का क्रमशः दिनांक 11/12/2020 एवं दिनांक 05/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 438/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 28/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 688/खनि.शा./2023, जशपुर, दिनांक 03/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक हैं।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** -- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 688/खनि.शा./2023, जशपुर, दिनांक 03/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 460/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 09/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 565/4 श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग एवं खसरा क्रमांक 565/21 श्री रामकुमार व सुश्री कौशल्या के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला-जशपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि./2022/2268 जशपुर, दिनांक 08/06/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-साजापानी 500 मीटर, स्कूल 2 कि.मी. एवं अस्पताल कांसाबेल 6.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13.9 कि.मी. दूर है। घुघरी नदी 2.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,24,016 टन, माईनेबल रिजर्व 68,575 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 61,717 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,839 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6.3 मीटर है। लीज क्षेत्र में ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.3 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,106.3 घनमीटर है, ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी भाग में 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र (1.76 मीटर ऊँचाई) में संरक्षित कर भण्डारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग किया जाएगा। ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,300 वर्गमीटर होगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,715
द्वितीय	13,715
तृतीय	13,715
चतुर्थ	13,715
पंचम	13,715

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 35,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,45,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,000 रूपये, रख–रखाव एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 1,84,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,68,500 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,68,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,839 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से पूर्व से लीज क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित है। साथ ही खनि निरीक्षक, जिला कार्यालय जशपुर के दिनांक 31/05/2022 द्वारा स्थल निरीक्षण पश्चात् छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6(ख) के तहत् खनिज उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र लगभग 12 मीटर पहाड़ी के रूप में है, जिसमें सरफेस आकार कार्य के रूप में खनिज उपलब्ध है। फूट हील में भी खनिज सा. पत्थर उपलब्ध है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 252.26 वर्गमीटर क्षेत्र को हॉल रोड, रैंप एवं टॉयलेट हेतु एवं 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र को ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन भण्डारित

करने हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23.50	2%	0.47	Following activities at Govt primary school **Village- Sukhbasupara (Sajapani)**	
			Portable Drinking water Facility	0.159
			Plantation work	0.312
			Total	**0.471**

19. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

20. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्दर निर्धारित राशि का उपयोग पर्यावरण के हित के लिए किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर क्षेत्र में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण करने एवं उन वृक्षों के रख रखाव इस प्रकार करेंगे जिससे रोपित 90 प्रतिशत से अधिक वृक्ष जीवित व स्वस्थ्य रहें। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. ऊपरी मिट्टी को भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का उपयोग अन्य कार्यों में न करने हेतु एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) तहत निर्धारित राशि का उपयोग उसमें दिए गए कार्यों में ही खर्च करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर लीज क्षेत्र में कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य नियमानुसार अनुमति लेकर विस्फोटक लाइसेंस धारक तथा दक्ष ब्लास्टर द्वारा ही कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को जाँच उपरांत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/12/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्र. /मा.चि./2023/2883 जशपुर, दिनांक 11/07/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 0.5 मीटर की दूरी पर है।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, पीपल, बेल, आंवला, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों के लिए राशि 2,100 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 900 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 24,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,32,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,00,440 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी. ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स साजापानी आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकींग गिट्टी (प्रो.– श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग) को ग्राम–साजापानी, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 565/4 एवं 565/21 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.436 हेक्टेयर, क्षमता–13,715 टन (5,275 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स साजापानी आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकींग गिट्टी (प्रो.– श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी, इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स शौर्य मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (छोटेहरदी डोलोमाईट माईन, डायरेक्टर – श्री मयंक गर्ग), ग्राम–छोटेहरदी, तहसील–पुसौर, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2647)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 441372/2023, दिनांक 22/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–छोटेहरदी, तहसील–पुसौर, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 108/1, 203, 207/2, 208/3, 208/4, 209/1, 209/2, 209/3, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 211, 213/1क, 213/1ख, 213/1ग, 213/1घ, 213/1ड़, 326/1, 329/1, 329/2 एवं 329/3, कुल क्षेत्रफल–4.379 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,10,000 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 494वीं बैठक दिनांक 27/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रूपेश शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक 108/1, 203, 207/2, 208/3, 208/4, 209/1, 209/2, 209/3, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 211, 213/1क, 213/1ख, 213/1ग, 213/1घ, 213/1ड़, 326/1, 329/1, 329/2 एवं 329/3, कुल क्षेत्रफल–4.379 क्षमता–1,10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायगढ़ द्वारा दिनांक 30/12/2016 को जारी की गई।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 450 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1822/ख.लि.–1/2023 रायगढ़, दिनांक 05/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन योजना अनुसार अनुमोदित मात्रा (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2016–17	1,00,000	64,524
2017–18	1,05,000	1,04,998
2018–19	1,10,000	96,240
2019–20	1,15,000	1,09,248
2020–21	1,20,000	98,822
2021–22	1,20,000	83,998
2022–23	1,20,000	52,966

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत छोटेहरदी का दिनांक 26/02/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ क्वारी प्लान अलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4069/माईनिंग–2/क्यू.पी./एफ.नं.29/2015 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1953/ख.लि.–1/2023 रायगढ़, दिनांक 27/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1953/ख.लि.–1/2023 रायगढ़, दिनांक 27/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। तालाब 120 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री गौतम अग्रवाल के नाम पर थी। लीज डीड दिनांक 14/03/2023 को मेसर्स शौर्य मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर–श्री मयंक गर्ग के नाम पर हस्तांतरित की गई। लीज डीड 20 वर्षो अर्थात दिनांक 19/01/2012 से दिनांक 18/01/2032 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री गौतम अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि गूगल मैप से अवलोकन करने पर आवेदित क्षेत्र से गोमर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य 25 कि.मी. दूर है। इस संबंध में समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य की सीमा से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ककाईमोहन 550 मीटर, स्कूल ग्राम–त्रिभौना 1 कि.मी. एवं अस्पताल रायगढ़ 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.1 मीटर दूर है। महानदी 1.6 कि.मी., मौसमी नाला 380 मीटर, नहर 1.45 कि.मी. एवं तालाब 120 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 20,34,855 टन, माईनेबल रिजर्व 11,89,908 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 11,30,412 टन था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 13,91,912 टन, माईनेबल रिजर्व 5,46,965 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,19,616 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,030.58 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 32,596.24 घनमीटर है, जिसमें से 2,815.87 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 29,780.37 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर भण्डारित कर संरक्षित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023–24	1,10,000
2024–25	1,10,000
2025–26	1,10,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 450 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 1,150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,15,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,34,000 रूपये, खाद के लिए राशि 80,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,55,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,84,000 रूपये एवं रख–रखाव के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 9,20,000 रूपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के 4,202.67 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किये जाने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
96.97	2%	1.93	Following activities at **Village-Tirbhona**	
			Plantion aroung village Pond	1.95
			Total	**1.95**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल एवं जामुन) 70 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,000 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 10,500 रूपये, खाद के लिए राशि 3,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 30,000 रूपये, अन्य कार्यों हेतु 10,000 इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 61,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,34,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत त्रिभौना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 277, क्षेत्रफल 1.257 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित मापदण्डो के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के द्वारा ही ब्लास्टिंग कराया जाएगा।

21. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा।हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जावेंगे : –

    i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जावेगा।

    ii. खदान कार्यालय से उत्पनन घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

    iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतो में छोड़ा जावेगा।

    iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यक्तानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

    v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

    vi. यथा संभव तालाब के चारो ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

    प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 120 मीटर तथा नहर 1.45 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

28. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारो को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुवाअजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 2 कि.मी., अस्पताल 20 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 510 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाऐगें–

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।

vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

viii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए डी.जी.एम.एस. से रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की

तकनीक अपनाकर कम किया जायेगा, जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किया जायेगा।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत् पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. आवेदित क्षेत्र की वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य की सीमा से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/12/2023 एवं 27/12/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./6705/2023 रायगढ़, दिनांक 26/12/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 892.8 मीटर, गोमर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 23.65 कि.मी. तथा गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 271.33 कि.मी. की आकाशीय दूरी पर है।
2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शौर्य मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (छोटेहरदी डोलोमाईट माईन, डायरेक्टर – श्री मयंक गर्ग) को ग्राम–छोटेहरदी, तहसील–पुसौर, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक 108/1, 203, 207/2, 208/3, 208/4, 209/1, 209/2, 209/3, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 211, 213/1क, 213/1ख, 213/1ग, 213/1घ, 213/1ड़, 326/1, 329/1, 329/2 एवं 329/3 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.379 हेक्टेयर, क्षमता–1,10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स शौर्य मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (छोटेहरदी डोलोमाईट माईन, डायरेक्टर – श्री मयंक गर्ग) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के तहत् तालाब के चारो ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

15. मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2567ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 63490/ 2019, दिनांक 28/05/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1 / 436005/ 2023, दिनांक 08/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, तहसील व जिला–रायपुर में स्थित खसरा क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल–18.5 हेक्टेयर में स्टील मेल्टिंग शॉप–1 (6 टन गुणा 6 नग) क्षमता–1,05,600 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर (12 टन गुणा 4 नग) क्षमता–1,42,560 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल–1 (हॉट चार्जिंग) क्षमता–59,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,35,000 टन प्रतिवर्ष, स्टील मेल्टिंग शॉप–2 (15 टन गुणा 6 नग) क्षमता–2,22,750 टन प्रतिवर्ष तथा रोलिंग मिल–2 क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष (कोल गैसीफायर आधारित) से बढ़ाकर 2,10,000 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग) करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् परियोजना की विनियोग रुपये 230 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मैटालर्जिकल इंडस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 486वीं बैठक दिनांक 13/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रवण कुमार गोयल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के

समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस. के. गोयल, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पॉल्युशन एण्ड इकोलॉजी सर्विसेस, नागपुर की ओर से डॉ. शिल्पा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में दिनांक 11/02/2008 को रोलिंग मिल क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष एवं ए.एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। समिति का मत है कि उक्त हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 84, दिनांक 06/05/2019 द्वारा मेसर्स बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, खसरा क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल–18.5 हेक्टेयर, ग्राम–गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, तहसील व जिला–रायपुर एम.एस. राउन्ड्स एण्ड सी.टी.डी. बार क्षमता–37,500 टन प्रतिवर्ष (सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन) से 59,500 टन प्रतिवर्ष (डबल शिफ्ट ऑपरेशन) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का एक्शन टेकन रिपोर्ट दिनांक 17/03/2023 का प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सभी शर्तों के पालन हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ज्ञापन दिनांक 24/12/2010 के माध्यम से वायर ड्रॉईंग यूनिट क्षमता – 1,25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/01/2024 तक है। समिति का मत है कि वायर ड्रॉईंग यूनिट हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20/07/2022 एवं दिनांक 26/07/2023 के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल आधारित पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट, रोलिंग मिल क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष एवं कोल गैसीफायर क्षमता–2 गुणा 5,800 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 20/06/2008 को जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 30/06/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा एम.एस. राउन्ड, सी.टी.डी. बार्स आदि क्षमता – 59,500 टन प्रतिवर्ष, एम.एस.इन्गाट्स एण्ड बिलेट्स क्षमता – 1,05,600 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 14/10/2022 को जारी की गई है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–सरोरा 500 मीटर, स्कूल ग्राम–गोगांव 2.5 कि.मी. एवं शहर रायपुर 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सुयश अस्पताल 3.5 कि.मी. एवं निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 2.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 17.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। खारून नदी 5.5 कि.मी. एवं छोकरा नाला 5.0 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है। आवेदित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया स्थित है।

4. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 2/5, 2/6, 1/14, 1/11, 1/15, 1/16, 30/1, 30/2, 32, 2/1, 1/3, 23/2, 26, 27/2, 33, 25, 22, 1/17, 1/7, 29/2, 28, 29/1, 4/1, 5, 1/5, 2/3 एवं 2/2, कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में भूमि खसरा क्रमांक 2/3, कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज बी–1 अनुसार खसरा क्रमांक 2/3 का रकबा केवल 1.21 हेक्टेयर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (Ha)	%
1.	Factory Shed	1.85	10

2.	Constructed area	0.8	4.32
3.	Greenbelt area	7.4	40
4.	Open area for finished good	1.2	6.48
5.	Raw Material Bay	2.0	10.81
6.	Yard for Scrap	0.5	2.71
7.	Misc. open area	1.6	8.65
8.	Area for Proposed Expansion	1.65	8.92
9.	Area under road & Parking Area	1.5	8.11
Total		**18.5**	**100**

6. रॉ–मटेरियल –

Particulars	Existing	Proposed	Source	Mode of Transportation
SMS 1 (1,05,600 TPA to 1,42,560 TPA)				
Sponge Iron	1,03,200 TPA	1,39,320 TPA	SBPIL Borjhara/Tilda	By Road
Pig Iron/Ci Scrap	13,200 TPA	17,820 TPA	Jaiswal Neco	By Road
Others	3,600 TPA	4860 TPA	SBPIL Borjhara	By Road
Rolling Mill 1 (59,500 TPA to 1,35,000 TPA)				
Ingot/Billets	64,053	1,42,560	Sync with SMS	Through Roller Conveyor
New Proposed SMS 2 (2,22,750 TPA)				
Sponge Iron	NIL	2,17,687 TPA	SBPIL borjhara/Tilda	By Road
Pig Iron/Ci Scrap	NIL	27,844 TPA	Jaiswal Neco	By Road
Others	NIL	7954 TPA	SBPIL Borjhara	By Road
Rolling Mill 2 (1,50,000 TPA to 2,10,000 TPA)				
Ingot/Billets	1,60,233 TPA	2,22,750 TPA	Sync with SMS	Through Roller Conveyor
Furnace Oil/Coal	3600 KL / 60,000 TPA	NIL	NA	NA
Captive Power Plant – Coal Based – 16 MW				
Coal	99,000	99,000	SECL	By Road & Rail
Char Dolochar	49,500	49,500	SBPIL Borjhara	By Road
Wire Drawing Mill – 1,25,000 TPA				
Wire Rods	1,26,250	1,26,250	Finished Bars from Rolling Mill	Through Drawing Machine
Fly Ash Bricks Plant – 72,000 TPA				
Fly Ash	50,400	50,400	Self	Captive

			Generated RM	
Gypsum	3,600	3,600	Market	By Road
Sand	14,400	14,400	Market	By Road
Lime	3,600	3,600	Market	By Road

7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Particulars	Existing Capacity (TPA)	Proposed Expansion	Capacity After Expansion
Steel Melting Shop 1	1,05,600 TPA (6X6T)	From 1,05,600 to 1,42,560 TPA, Induction Furnaces (existing configuration 6x6T shall be change to 3x12 T & Additional 1x12T)	1,42,560 TPA (4X12 T)
Rolling Mill 1	59,500 TPA (Hot Charging)	75,500 TPA (Hot Charging Synchronising with SMS 1)	1,35,000 TPA (Hot Charging)
Steel Melting Shop 2	-	2,22,750 TPA (5X15 T Induction Furnace)	2,22,750 TPA (5X15 T Induction Furnace)
Rolling Mill 2	1,50,000 TPA (With Coal Gasifier)	60,000 TPA (Hot Charging Synchronising with SMS 2)	2,10,000 TPA (Hot Charging)
Note: After establishment of Steel Melting Shop 2 of capacity 2,22,750 TPA (5X15 T Induction Furnace) all re-rolled products shall be based on hot charging and existing reheating furnace shall be dismantle along with coal gasifier.			

8. **स्थापित इकाईयों संबंधी जानकारी** – उद्योग के निम्न स्थापित इकाईयों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है:–

Existing Production capacity and configuration	Remarks
Coal Based Captive Power Plant - 16 MW	No change
Wire Drawing (1,25,000TPA) & Fly Ash Brick Plant (72,000 TPA)	No change
Refining Furnace (3MVA) for refining of MS Round & CTD Bars (59,500 TPA) &/or MS Ingots & Billets (1,05,600 TPA)	No change

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संबंध स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान स्थापित इकाईयों एवं क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित इकाईयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरणों के संबंध में पृथक–पृथक एवं प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत चिमनियों की ऊंचाई के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- जल खपत एवं स्त्रोत –

Unit Name	Existing (KLD)	Proposed (KLD)	Total (KLD)	Waste Water (KLD)
Power plant make up water	1,136	NIL	1,136	190
DM water for boiler	64	NIL	64	NIL
Steel Melting Shop for cooling purpose	27	63	90	4.5
Rolling Mill for cooling purpose	21	18	39	NIL
Wire Drawing mill	05	NIL	05	NIL
Fly Ash bricks plant	45	NIL	45	NIL
Domestic water	15	11	26	21
Total	**1,313**	**92**	**1,405**	**215.5**

आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल एवं खारून नदी से की जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से 45 घनमीटर प्रतिदिन के लिए अनुमति प्राप्त की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 28/12/2023 तक है एवं जल संसाधन विभाग, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 26/10/2004 द्वारा 1.25 लाख घनमीटर प्रतिमाह के लिए अनुमति प्राप्त की गई है।

उक्त प्रस्तुत जानकारी से स्पष्ट है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत दूषित जल की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, चूंकि आवेदित क्षेत्र क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया के अंतर्गत आता है। अतः प्रदूषण भार में वृद्धि होने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो कि स्पष्ट नहीं है। अतः समिति का मत है कि कुल रन ऑफ के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गणना कर (नंबर एवं साईज सहित) जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट से विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 4,000 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु क्षेत्रफल 7.4 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 18,500 नग पौधे रोपित किया गया है, जिसमें से 12,950 नग पौधें जीवित हैं। वर्ष 2021–22 में 1,000 नग पौधे एवं वर्ष 2022–23 में 500 नग पौधें रोपित किये गये है। वर्ष 2023–24 में 1,500 नग

पौधे प्रस्तावित है, जिसमें से 700 नग पौधों का रोपण किया जा चूका है। समिति का मत है कि शेष 800 नग पौधों का वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में किये गये कुल पौधों का नम्बरिंग एवं प्रजातियों का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर, 2021 से 27 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	22.2	52.4	60
PM_{10}	36.5	86.4	100
SO_2	6.2	18.6	80
NO_2	14.8	38.4	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	40	74	75
Night L_{eq}	30	64	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा–फौना की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

14. समिति का यह भी मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों एवं क्षमता विस्तार उपरांत जल, वायु, ठोस अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट के संबंध में पृथक–पृथक प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 07/10/2022 प्रातः 10:30 बजे स्थान – शासकीय हाईटेक ग्राउंड, वार्ड क्रमांक 4, यतियतन लाल वार्ड, जोन क्रमांक 01, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/12/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

16. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–

1. पूर्व में दिनांक 11/02/2008 को रोलिंग मिल क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष एवं ए.एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सभी शर्तों के पालन हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

3. वायर ड्रॉईंग यूनिट हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20/07/2022 एवं दिनांक 26/07/2023 के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. भूमि खसरा क्रमांक 2/5, 2/6, 1/14, 1/11, 1/15, 1/16, 30/1, 30/2, 32, 2/1, 1/3, 23/2, 26, 27/2, 33, 25, 22, 1/17, 1/7, 29/2, 28, 29/1, 4/1, 5, 1/5, 2/3 एवं 2/2, कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में भूमि खसरा क्रमांक 2/3, कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

6. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत की स्थिति में ले–आउट प्लान (Dimension सहित) प्रस्तुत किया जाए।

7. रॉ–मटेरियल बैलेंस की विस्तृत जानकारी (phase wise) प्रस्तुत किया जाए।

8. वर्तमान स्थापित इकाईयों एवं क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित इकाईयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरणों के संबंध में पृथक–पृथक एवं प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत चिमनियों की ऊंचाई के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

9. प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत दूषित जल की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, चूंकि आवेदित क्षेत्र क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया के अंतर्गत आने के कारण प्रदूषण भार में वृद्धि होने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

10. वर्तमान में स्थापित इकाईयों एवं क्षमता विस्तार उपरांत जल, वायु, ठोस अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट के संबंध में पृथक–पृथक प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

11. जनित होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा एवं उसके अपवहन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

12. कुल रन ऑफ के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गणना कर (नंबर एवं साईज सहित) जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

13. शेष 800 नग पौधों का वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में किये गये कुल पौधों का नम्बरिंग एवं प्रजातियों का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

14. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (DPR) प्रस्तुत किया जाए।

16. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

17. फ्लोरा–फौना की विस्तृत एवं सही–सही जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

18. जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही गणना में कौन से मॉडल (software model) का उपयोग किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से दिनांक 05/12/2023 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर प्रकरण पर विचार किया जाना है।

(स) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1312, दिनांक 25/08/2023 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को "Request for guidance for appraisal of Standalone Rolling Mills located in Critically Polluted Areas or Severely Polluted Areas to be appraised by SEAC or by EAC at Centre." के संबंध में मार्गदर्शन लिये जाने हेतु पत्र लेख किया गया था, जिसके संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई

दिल्ली से दिनांक 05/12/2023 द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"As per the OM dated 24th October, 2019, B2 category projects in critically polluted area or severely polluted areas shall be appraised as B1 category projects at the State Level [SEAC/SEIAA]. In addition to this, as per the OM dated 30/10/2019, any B1 project located in CPA & SPA shall be appraised at the central level."

अतः उक्त के संबंध में समिति का मत है कि आवेदित प्रकरण क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया के अंतर्गत आता है। उक्त परियोजना को बी1–कैटेगरी के तहत् निर्णय लिये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में विचार किया जाना है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए आगामी कार्यवाही हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए आगामी कार्यवाही हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम–करवाही, खम्हरिया, सराईटोला, ढोलनारा, एवं बजरमुड़ा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2758)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 453030/2023, दिनांक 22/11/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह कोयला (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खदान ग्राम–करवाही, खम्हरिया, सराईटोला, ढोलनारा, एवं बजरमुड़ा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में कुल क्षेत्रफल 277.10 हेक्टेयर में **Expansion of Karwahi Open cast Coal Mine (Gare Palma IV/7 Coal Mine) production capacity from 1.44 MTPA to 1.68 MTPA (Stage –II: 40% expansion) within the existing Mine lease Area 277.10 hectare** के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग 81 करोड़ (वर्तमान में 74 करोड़ तथा क्षमता विस्तार उपरांत 7 करोड़) रुपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पी.एस. दत्ता गुप्ता, हेड कॉर्पोरेट–अफेयर्स एवं श्री बिरेन्द्र कुमार, डी.जी.एम. इन्व्हायरमेंट एण्ड फॉरेस्ट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

   i. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02/06/2021 को करवाही ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट सब–ब्लॉक गारे IV/7, कुल क्षेत्रफल– 335.736 हेक्टेयर, कोयला उत्खनन क्षमता–1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड से मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनेरल्स लिमिटेड के नाम पर की गई।

   ii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24/03/023 के माध्यम से भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 के अनुसार करवाही ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट सब–ब्लॉक गारे IV/7, कुल क्षेत्रफल– 277.10 हेक्टेयर, कोयला उत्खनन क्षमता– 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.44 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage I-20% expansion) के क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।

   iii. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 04/07/2023 पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः–

   - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
   - ट्रांसपोटेशन प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
   - कुल माईनिंग लीज क्षेत्रफल का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
   - इन्व्हायरमेंटल लैबोरेटरी स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

   उपरोक्त बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण का विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव, ट्रांसपोटेशन प्लान का विस्तृत प्रस्ताव, कराये गये डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 26/09/2023 को प्रस्तुत की गई है। साथ ही इन्व्हायरमेंटल लैबोरेटरी 01 वर्ष के भीतर स्थापित किये जाने की जानकारी प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में एन.ए.बी.एल. अधिकृत संस्था मेसर्स इन्व्हायरो एनालिस्ट एण्ड इंजिनियर्स प्राईवेट

लिमिटेड से मॉनिटरिंग कराया जाता है तथा अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जाती है।

2. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल माईनिंग क्षमता – 1.44 मिलियन टन प्रतिवर्ष, हेतु जल एवं वायु स्थापना सह संचालन सम्मति दिनांक 25/05/2023 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।

3. **भू–स्वामित्व** – भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08/03/2021 के माध्यम से वेस्टिंग आदेश (Vesting Order) मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनेरल्स लिमिटेड के नाम से जारी की गई है।

4. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के नाम पर है। लीज डीड दिनांक 23/11/2021 से 22/11/2051 तक की अवधि हेतु वैध है।

5. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - निकटतम आबादी ग्राम–करवाही 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायगढ़ 30.56 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। वीर सुरेन्द्र साँई विमानपत्तन, झारसुकडा 62.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 11.7 कि.मी. एवं केलो नदी 1.2 कि.मी. तथा पजनीझार नदी 5 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Area (in HA)
1.	Excavation Area	248.44
2.	External OB Dumb	7.89
3.	Other Uses	1.65
4.	Infrastructure Area	0.60
5.	Green Belt Area	18.52
	Total	**277.10**

7. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी** –

S.No.	Block Area	Earlier Granted EC 1.44 MTPA	Proposed Production 1.68 MTPA
1.	Lease Area	277 ha	277 ha
2.	Life of Project	24 years	24 years
3.	Capacity	1.44 MTPA	1.68 MTPA
4.	Mining Technology	Shovel and Dumper Mining, Surface Miner in Coal with Dumpers.	Shovel and Dumper Mining, Surface Miner in Coal with Dumpers.

8. **उत्खनन योजना** – भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 20/06/2022 द्वारा माईनिंग प्लान एण्ड माईन क्लोजर प्लान (1st मॉडिफिकेशन) प्रस्तुत किया गया है।

9. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 215.14 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 48.84 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8.6 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट फुल्ली मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 100 मीटर है। खदान से लगभग 102.71 मिलियन टन ओव्हर बर्डन जनित होगा, जिसे डम्प साईट–1 क्षेत्रफल 23.72 हेक्टेयर, डम्प साईट–2 क्षेत्रफल 22.72 हेक्टेयर, डम्प साईट–3 क्षेत्रफल 12.17 हेक्टेयर एवं डम्प साईट–4 क्षेत्रफल 23.8 हेक्टेयर में भण्डारित कर पुनःभराव हेतु संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की चौड़ाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर है। खदान की संभावित आयु 24 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (मिलियन टन)	वर्ष	उत्खनन (मिलियन टन)
2022–23	1.8	2027–28	1.8
2023–24	1.8	2028–29	1.8
2024–25	1.8	2029–30	1.8
2025–26	1.8	2030–31	1.8
2026–27	1.8	2031–32	1.8

10. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 520 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 32 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रयोजन हेतु 340 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन में 150 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण हेतु 150 घनमीटर प्रतिदिन, पुनःभराव / भू–समतलीयकरण हेतु 40 घनमीटर प्रतिदिन, ड्रिलिंग / वाशिंग /वार्क शॉप हेतु 173 घनमीटर प्रतिदिन, फायर फाईटिंग में 15 घनमीटर प्रतिदिन एवं कोल हेडलिंग प्लांट में 54 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। जल की आपूर्ति माईन पिट एवं भू–जल के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 18 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनापत्ति प्राप्त है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पेयजल की आपूर्ति भू–जल से एवं अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति माईन पिट के माध्यम से की जाएगी।

11. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टीक टैंक एवं सोक पिट स्थापित है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. स्थापित है। ई.टी.पी. से उपचार उपरांत जल का पुनः वाशिंग हेतु उपयोग किया जाता है।

12. कोयले का परिवहन खदान से रेलवे साईडिंग तक ट्रकों के माध्यम से किया जाता है। तत्पश्चात् रेलवे साईडिंग से रेल के माध्यम से परिवहन किया जाता है। उपरोक्त व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी रखा जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्रांसपोटेशन रूट प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी (8.6 हेक्टेयर) में से वर्तमान में 2.58 हेक्टेयर में 12,900 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 6.02 हेक्टेयर क्षेत्र में 12,500 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसे वर्ष 2024–25 में 0.8 हेक्टयेर (1,600 नग), वर्ष 2025–26 में 1.842 हेक्टयेर (4,146 नग), वर्ष 2026–27 में 0.729 हेक्टयेर (1,458 नग), वर्ष 2027–28 में 0.378 हेक्टयेर (756 नग) एवं वर्ष 2028–29 में 2.27 हेक्टयेर (4,540 नग) वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी 05 वर्ष हेतु उत्खनन उपरांत उत्खनित क्षेत्र 34.40 हेक्टेयर में पुनःभराव कर 1,72,000 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसे वर्ष 2024–25 में 6.4 हेक्टयेर (32,000 नग), वर्ष 2025–26 में 7 हेक्टयेर (35,000 नग), वर्ष 2026–27 में 7 हेक्टयेर (35,000 नग), वर्ष 2027–28 में 7 हेक्टयेर (35,000 नग) एवं वर्ष 2028–29 में 7 हेक्टयेर (35,000 नग) वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में उत्खनित क्षेत्र 3 हेक्टेयर में पुनःभराव कर 12,000 नग वृक्षारोपण किया गया है। नियमानुसार 7.5 मीटर पट्टी में हरित पट्टी का निर्माण आवश्यक है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 5 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	37.9	57.4	60
PM_{10}	66.2	94.1	100
SO_2	7.5	14.2	80
NO_2	14.3	39.7	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.6	64.2	75
Night L_{eq}	37.7	53.7	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1260 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.035 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 474 पी.सी.यू. प्रतिदिन की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 1,734 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.0482 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक A (Excellent) के भीतर है।

vi. **जी.एल.सी. की गणना:–**

S No.	Parameters (Max. impact of worst case scenario)	Max. monitored background Conc. (µg/m3)	Incremental GLC (µg/m^3)	Total GLC (µg/m^3)
1	PM_{10}	94.1	0.132	94.232
2	$PM_{2.5}$	57.4	0.038	57.438
3	SO_2	14.2	0.00006	14.20006
4	NO_2	39.7	0.00002	39.70002

vii. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

16. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – खदान परिसर में वर्षा जल 7,19,830 घनमीटर प्रतिवर्ष होगी तथा माईन सिपेज से 6,04,460 घनमीटर प्रतिवर्ष होगी। उपरोक्त जल को गारलेण्ड ड्रेन के माध्यम से खदान के भीतर माईन पिट–01 क्षेत्रफल 8.25 हेक्टेयर क्षेत्र में एकत्रित कर रखा जाएगा। माईन पिट से लगभग 1,43,966 घनमीटर प्रतिवर्ष ग्राउण्ड वाटर में रिचार्ज होना बताया गया है।

17. **विद्युत खपत** – खदान हेतु 0.4 मेगावॉट की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund allocated (in Lakh Rupees)
8098	1%	80.98	Following activities at Village- Rodopaali, Janpad Panchayat Tamnar, Dist-Raigarh, Chhattisgarh.	
			Development of ECO Park	32.20
			Development of ECO Park	15.41

			Total (A)	**47.61**
			Following activities at Village- Taraimaal, Maa Banjari Mandir Samiti, Tehsil- Gharghoda, Dist- Raigarh, Chhattisgarh.	
			Development of ECO Park	22.88
			Plantation around Village Pond	15.15
			Total (B)	**38.03**
			Grand Total	**85.64**

i. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण (Ecological Park)" (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल, आंवला, सीसम, अर्जुन आदि) 1,500 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 7,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,50,000 रूपये, सिंचाई (बोरवेल सहित) के लिए राशि 2,00,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि (गेट सहित) के लिए राशि 3,15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,55,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 13,65,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत रोडोपाली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 152, क्षेत्रफल 1.914 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण (Ecological Park)" (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल, आंवला, सीसम, अर्जुन आदि) 200 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 1,00,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,36,000 रूपये, खाद के लिए राशि 20,000 रूपये, सिंचाई (बोरवेल सहित) के लिए राशि 2,00,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि (गेट सहित) के लिए राशि 2,20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,76,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,65,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत रोडोपाली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 159, क्षेत्रफल 0.182 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण (Ecological Park)" (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल, आंवला, सीसम, अर्जुन आदि) 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 5,00,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,28,000 रूपये, खाद के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई (बोरवेल सहित) के लिए राशि 2,00,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि (गेट सहित) के लिए राशि 3,45,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 14,23,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,65,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मां बंजारी मंदिर समिति, तराईमल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 2/3, क्षेत्रफल 1.036 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iv. सी.ई.आर. के अंतर्गत "तालाब के सौन्दरीयकरण" (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल, आंवला, सीसम, अर्जुन आदि) 500 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 2,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई (गेट सहित) के लिए राशि 50,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,50,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,65,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मां बंजारी मंदिर समिति, तराईमल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 35, क्षेत्रफल 0.858 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. समिति का मत है कि ईको पार्क (Ecological Park) में आवश्यकतानुसार वाटर बॉडी का भी निर्माण किया जाए तथा ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किया जाए। ईको पार्क निर्माण की प्रगति की जानकारी अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन में दी जाए। एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 एवं संशोधित ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 30/05/2022 के तहत् Expansion of Karwahi Open cast Coal Mine (Gare Palma IV/7 Coal Mine) production capacity from 1.44 MTPA to 1.68 MTPA (Stage –II: 40% expansion) within the existing Mine lease हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

21. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि मेरी खदान में किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब इत्यादि में प्रवाहित नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किए जायेंगे–

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत नाला, तालाब इत्यादि में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किए जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए बदान के चारों ओर गारलैंड ट्रेन व सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोत में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा के द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान के माईन बाउंड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. यथासंभव तालाब एवं नालों के किनारों पर वृक्षारोपण किया जावेगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाइडलाईन के अनुसार पर्यावरण समिति का गठन किया गया है जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति की गयी है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान के माईन बाउंड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खनिज परिवहन हेतु रेल एवं रोड तारपोलिन से ढ़ककर किया जा रहा है, जिससे रास्ते में वहान से खनिज ना गिरे।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELLING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाए गए हैं अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM–10 का प्रभाव नगण्य होगा।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS से रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जावेगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सड़कों का उचित रख–रखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जा रहा है, अतः रोड, आबादी स्कूल आदि पर धूल का प्रभाव नगण्य है।

40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELLING के अनुसार परिवहन, तथा विभिन्न ध्वनि प्रशिक्षण केन्द्रों के संयुक्त परिणाम, रात एवं दिन में CPCB के मानकों के भीतर पाये गए। अतः आबादी क्षेत्र स्कूल एवं अस्पताल पर प्रभाव नगण्य होगा।

41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि CER के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत सभी संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किए जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किया जावेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Para 7 (II) (a) के तहत् खदान ग्राम–करवाही, खम्हरिया, सराईटोला, ढोलनारा, एवं बजरमुड़ा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में कुल क्षेत्रफल 277.10 हेक्टेयर में Expansion of Karwahi Open cast Coal Mine (Gare Palma IV/7 Coal Mine) production capacity from 1.44 MTPA to 1.68 MTPA (Stage –II: 40% expansion) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall obtain CTE/CTO from Chhattisgarh Environment Conservation Board for Coal production capacity 1.68 MTPA.

ii. Project proponent shall made CER fund as CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund allocated (in Lakh Rupees)
8098	1%	80.98	Following activities at Village- Rodopaali, Janpad Panchayat Tamnar, Dist-Raigarh, Chhattisgarh.	
			Development of ECO Park	32.20
			Development of ECO Park	15.41
			Total (A)	**47.61**
			Following activities at Village- Taraimaal, Maa Banjari Mandir Samiti, Tehsil- Gharghoda, Dist-Raigarh, Chhattisgarh.	
			Development of ECO Park	22.88
			Plantation around Village Pond	15.15
			Total (B)	**38.03**
			Grand Total	**85.64**

iii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.

iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

v. The project proponent shall submit the wildlife conservation plan duly approved by the PCCF (Wildlife) and the project money to be deposited in State CAMPA Fund.

vi. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools/ concerned authority.

vii. Project proponent shall ensure to develop a Greenbelt consisting of 3-tier plantation of width not less than 7.5 meter (not less than 8.6 Hectare) all along the mine lease area. Project proponent shall do plantation over reclaimed area as per the above proposal. The green belt comprising a mix of native species (endemic species should be given priority) shall be developed all along the major approach/ coal transportation roads.

viii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc and submit a report at every 06 months.

ix. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA). Ground water shall be used only for domestic purpose.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

xii. Project authorities shall provide Occupational heath surveillance records and submitted in six- monthly monitoring report.

xiii. The project proponent shall obtain permission from district collector for cutting of green trees in the project area, without permission from collector the green shall not be cut.

xiv. The project proponent shall conduct the Biodiversity study of the project area and submit the report.

xv. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as amended).

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2023 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–करवाही, खम्हरिया,

सराईटोला, ढोलनारा, एवं बजरमुड़ा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण एवं तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई. ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

17. मेसर्स दर्री सेण्ड क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा), ग्राम–दर्री, तहसील व जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2237)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 411396 एवं 20/12/2022 ई.सी. – 453176 एवं 23/11/2023	टी.ओ.आर. जारी दिनांक 03/04/2023
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	16 हेक्टेयर एवं 3,17,334 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक 759 एवं महानदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि	श्री विजय साहेब, अधिकृत प्रतिनिधि	अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत दर्री दिनांक 12/05/2014	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 19/12/2022	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 13/12/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 13/12/2022	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 13/12/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा दिनांक – 08/12/2022 वैधता अवधि – 6 माह	वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 03/01/2024 छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7 (4) परन्तुक के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करने का उल्लेख किया गया है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, धमतरी वन मण्डल धमतरी द्वारा जारी दिनांक 24/04/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 5.6 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – दर्री 170 मीटर, स्कूल ग्राम – दर्री 230 मीटर अस्पताल – नरहरपुर 1.78 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 8.06 कि.मी.	संलग्न है।
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 775 मीटर, न्यूनतम 595 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 735 मीटर, न्यूनतम 725 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 250 मीटर, न्यूनतम 190 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 117 मीटर, न्यूनतम 61 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3.5 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा –	संलग्न है।

	3,17,334 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 16 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 20/12/2022 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,333 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – नदी तट के किनारे से न्यूनतम 10 प्रतिशत की दूरी छोड़ने हेतु	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
वृक्षारोपण कार्य	3,200 नग वृक्षारोपण नदी तट पर, खसरा क्रमांक 717, रकबा 2.77 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर ग्राम पंचायत दर्री का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि–5,70,000
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	**मॉनिटरिंग –** 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 गुणवत्ता मापन स्थलः – परिवेशीय वायु – 8 भू–जल – 4 सतही जल – 3 ध्वनि स्तर – 8 मिट्टी के नमूने – 5 $PM_{2.5}$ – 36.3 से 42.8 $\mu g/m^3$ PM_{10} – 71.6 से 80.9 $\mu g/m^3$ SO_2 – 6.3 से 7.2 $\mu g/m^3$ NO_2 – 10.9 से 12.4 $\mu g/m^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 42.2 से 65.1 Night L_{eq} – 32.4 से 56.1	गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर है।
पी.सी.यू. की गणना	**साईट हेतु –** वर्तमान में 90 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 परियोजना उपरांत 354.445 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.1969 **राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु –** वर्तमान में 530 पी.सी.यू./दिन	**साईट हेतु –** लोड कैरिंग क्षमता A (Excellent) श्रेणी का है। **राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु –** लोड कैरिंग क्षमता A (Excellent) श्रेणी का है।

	वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.08 परियोजना उपरांत 794.445 पी.सी.यू./दिन वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.1324	
जी.एल.सी. की गणना		निर्धारित भारतीय मानक सीमा के भीतर है।

Parameter	Max Basline Concetr-ations ($\mu g/m^3$)	Predicted GLC Aermod ($\mu g/m^3$)	Cumlati-ve GLC ($\mu g/m^3$)
PM_{10}	74.8	0.93	75.73
$PM_{2.5}$	40.7	0.47	41.17
SO_2	6.7	2.75	9.45
NO_x	11.6	16.48	28.08

लोक सुनवाई	दिनांक 03/10/2023 समय – प्रातः 10:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत कार्यालय दर्री, ग्राम–दर्री, तहसील व जिला–धमतरी	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 01/12/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	**मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–** 1. रॉयल्टी का पैसा पंचायत में आना चाहिए। 2. रोड मरम्मत एवं तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए। 3. रोड के किनारें वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। 4. ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई में उठाये गये मुख्य रूप से सुझाव/विचार के निराकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (**Notarized undertaking**) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं

	आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 16 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
123.7	2%	2.474	Following activities at Nearby, Village- Darri	
			Plantation around village pond	1.15
			Pond renovation at Gram Panchayat Darri	1.56
			Total	2.71

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, जाम, सीताफल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 200 नग पौधों तालाब कें चारो ओर पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 8,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,00,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 15,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण एवं तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु 1,56,700 रूपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दर्री के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 485, क्षेत्रफल 0.79 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. लोक सुनवाई में उठाये गये मुख्य रूप से सुझाव/विचार के निराकरण हेतु प्रस्ताव को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स दर्री सेण्ड माईन (प्रो.– श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा) को ग्राम–दर्री, तहसील व जिला–धमतरी, खसरा क्रमांक 759, कुल लीज क्षेत्रफल–16 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 1,333 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 15.8667 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 95,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/03/2024 के माध्यम से लोक सुनवाई में उठाये गये मुख्य रूप से सुझाव/विचार के निराकरण करते हुये निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

   - यह खदान शासन के नियमानुसार परियोजना प्रस्तावक को आबंटित की गई है तथा खदान का संचालन नियमानुसार किया जाएगा। शासन के द्वारा निर्धारित रॉयल्टी प्रदान की जाएगी।
   - परियोजना की लागत के अनुसार सी.एस.आर. मद के तहत् ग्राम पंचायत के सहयोग से विकास कार्य किया जाएगा तथा ई.एम.पी. मद के तहत् सड़क की मरम्मत भी की जाएगी।
   - प्रस्तावित परियोजना के लिए परिवहन मार्ग योजना निश्चित की गई है, जिसके दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा।
   - स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई. आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स के बिन्दु क्रमांक 22 अनुसार "One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post monsoon season) ; December-February (winter season)] primary baseline data on ambient

air quality as per CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flora and fauna shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-wise in the EIA and EMP Report." का उल्लेख है। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉनिटरिंग का कार्य 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के मध्य किया गया है। अतः प्राधिकरण का मत है कि 1 माह (अप्रैल/मई) का अतिरिक्त बेसलाईन डाटा एकत्रित कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स दर्री सेण्ड माईन (प्रो.– श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. मॉनिटरिंग हेतु 1 माह (अप्रैल/मई) का अतिरिक्त बेसलाईन डाटा एकत्रित कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

18. मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2017)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 76840/2022, दिनांक 11/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1 / 453167/ 2023,

दिनांक 24/11/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, कुल क्षेत्रफल – 2.42 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,33,000 टन प्रतिवर्ष, रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,49,000 टन प्रतिवर्ष (थ्रू–हॉट चार्जिंग क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष एवं थ्रू–रि–हीटिंग क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष) एवं एम.एस. पाईप्स क्षमता – 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में परियोजना का विनियोग 27.80 करोड़, क्षमता विस्तार हेतु परियोजना का विनियोग 30 करोड़ है। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना की कुल विनियोग 57.80 करोड़ रूपये होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मैटालर्जिकल इंडस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनमोहन अग्रवाल, जनरल मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एनाकॉन लैबोटरीज प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर की ओर से श्री श्रीकांत व्यवहारे उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2180, दिनांक 04/03/2021 द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रु हॉट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रु बिलेट्स री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1285, दिनांक 21/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है।
   - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 13/01/2023 को

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः–

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा बिल्डिंग के छत में सोलर की सुविधा एवं सोलर लाईट की सुविधा के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA and Disaster Management Plan) के संबंध में Onsite and Offsite enmergency plan प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- सेल्फ इन्व्हायरोमेंटल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 30/01/2023 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसारः–

- इण्डक्शन फर्नेस का काम निर्माणधीन होने के कारण छत में सोलर की सुविधा एवं सोलर लाईट की सुविधा वर्तमान में नहीं की गई है। संचालन प्रारंभ करने के पूर्व सोलर की सुविधा की जाएगी।
- Onsite and Offsite enmergency plan तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA and Disaster Management Plan को शामिल किया गया है।
- इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर एवं 30 मीटर की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, चिमनी में ऑनलाईन कंटीन्युअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना का प्रस्ताव है तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सर्वर से संबद्ध किया जाना प्रस्तावित है, आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण, 04 नग सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त ई.एम.पी. के क्रियान्वयन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा 60 लाख रूपये बजट होना बताया गया है।
- सेल्फ इन्व्हायरोमेंटल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत गया है।

2. **जल एवं वायु सम्मति** –

i. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 9,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 38,640 टन प्रतिवर्ष, रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 14/07/2021 को जारी की गई। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु

संचालन सम्मति दिनांक 06/12/2021 को जारी की गई, जिसकी वैधता क्षमता विस्तार के संचालन प्रारंभ माह के प्रथम दिवस से 1 वर्ष (First date of month of commissioning of the plant with expanded capacity) तक के लिए है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

i. निकटतम आबादी ग्राम–हथखोज 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई नगर 3.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 36 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 12 कि.मी. एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस के नाम पर है। साथ ही पार्टनर्स यथा श्री निर्माण अग्रवाल एवं श्री तुसार अग्रवाल द्वारा पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Existing Area (Ha)	Final area (Ha)	%
10.	Roof top/Builtup area	1.00	1.30	54
11.	Area under road & Paved	0.24	0.20	8
12.	Greenbelt area	0.668	0.82	34
13.	Open area	0.112	0.10	4
Total		**2.02**	**2.42**	**100**

6. **रॉ–मटेरियल :–**

Material Balance (In TPA)			
For Induction furnace with hot charging mill			
Input		**Output**	
Sponge Iron	1,36,586	MS Billet and/or Hot Rolled TMT	1,05,000
CI / Pig Iron Heavy Scrap	30,625	Cold billet not possible to re-rolled	28,000
Ferro Alloys & Aluminium	1,697	Defective billets	4,200
Ramming mass and Refractory lining	350	Mill Scale from IF and CCM	2,800
		Slag	24,761
		Refractory Waste	175
		Loss on ignition (LOI)	4,322
Total	**1,69,258**	**Total**	**1,69,258**
For Fuel Fired Rolling Mill			
Input		**Output**	
MS billet from	1,23,579	Re-rolled steel product	1,44,000

internal and market			
MS billet from internal	28,000	Mill Scale	3,600
		Miss roll/end cutting	3,979
Coal	17,280	Ash	1,728
		Loss on ignition (LOI)	15,552
Total	**1,68,859**	**Total**	**1,68,859**
For Pipe Fabrication Unit (In TPA)			
Input		**Output**	
Steel strips from self	1,24,800	MS pipe	1,20,000
Welding electrodes required for pipe welding	200	Scrap from pipe mill	5,000
Total	**1,25,000**	**Total**	**1,25,000**

7. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:–

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04/03/2021 के अनुसार :–

First Phase			
Product	**Facility**	**Existing Capacity (TPA)**	**After Expansion Capacity (TPA)**
MS Ingot/Billets	Induction Furnace and CCM	9,000	-
Re-rolled steel product	New Re-rolling mill connected to existing Billet Reheating Furnace	-	36,800
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000
	Total Re-rolled steel product		**57,800**
Second Phase			
Product	**Facility**	**Existing Capacity (TPA)**	**After Expansion Capacity (TPA)**
MS Ingot/Billets or Re-rolled product through hot charging	Induction Furnace and CCM (MS Billets)	9,000	38,640
	Or		
	Re-rolling mill with hot charging of semi-finished steel i.e. hot MS Billet	-	36,800
Re-rolled steel product through BRF	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000

प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत :–

Unit	Product	After Expansion Capacity (TPA)	Total capacity (TPA)
Induction furnace	MS Ingot/Billets	1,33,000	1,33,000
Rolling mill	Re-rolled product through hot charging	1,05,000	2,49,000
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	1,44,000	
Pipe Fabrication Unit	MS pipe	1,20,000	1,20,000

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर विथ सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है तथा कोल गैसीफायर री–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। चिमनी में ऑनलाईन कंटीन्युअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना किया जाना तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सर्वर से संबद्ध किया जाना प्रस्तावित है फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

S.No	Iteam	Qty (TPA)	Disposal
1.	Defective Billets	4,200	Will be partially used in own induction furnace and remaining will be sold to re-rolling mills.
2.	Slag	24,761	Will be internally used for metal recovery or given to metal recovery units.
3.	Refractory Waste	175	Will be given to authorized recyclers.
4.	Mill Scale	6,400	Will be sold to ferro alloys/Pellet plant etc.
5.	Miss Rolls/End cutting	3,979	Will be reused in own induction furnace.
6.	Coal Ash	1,728	Will be given to brick manufacturer and for road making and plinth filling.
7.	MS Scrap From Pipe mill	5,000	Will be internally re-used remaining will sold to other units.

10. **हजार्ड्स (Hazardous) अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था**–

Type of Hazardous Waste	H. W. Category (as per HWM Schedule 1)	Quantity	Disposal
Waste Oil/Used Oil	5.1	3 KL/annum	Will be given to authorized recycler

Used Lead acid Batteries	17	10 numbers	having authorization from competent authority.

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 180 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु वर्तमान में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 90 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि 245 घनमीटर प्रतिदिन जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी को आवेदन किया गया है। उद्योग संचालन के पूर्व सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाएगा।
- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–
  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। उपचारित जल को हरित पट्टिका के विकास एवं डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 19,641 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज वेल (व्यास 1 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 2 नग रिचार्ज पिट (3 मीटर लम्बाई, 2 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर गहराई) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 15 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.82 हेक्टेयर (34 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 0.668 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। द्वितीय चरण में शेष 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उद्योग परिसर के 5 कि.मी. की परिधि के भीतर सहमति प्राप्त शासकीय भूमि में शेष 6 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च, 2022 से 31 मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	21.7	36.8	60
PM_{10}	56.5	73.4	100
SO_2	8.2	16.2	80
NO_2	16.5	24.4	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	47.6	64.2	75
Night L_{eq}	37.7	53.7	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1,947 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 659 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 2,606 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.43 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good) के भीतर है।

vi. जी.एल.सी. की गणना:–

S.No.	Parameters	Baseline at project site (µg/m³)	Predicted GLC (µg/m³)	Total GLC (µg/m³)
1	PM_{10}	75.6	0.15	75.75
2	$PM_{2.5}$	32.7	0.05	32.75
3	SO_2	17.6	0.33	17.93
4	NO_x	25.7	0.45	26.15

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 11/09/2023 दोपहर 12:00 बजे स्थान – सी.एस.आई.डी.सी. कर्मशियल जोन, इंजिनियरिंग पार्क, हथखोज भिलाई, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 11/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

16. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. शासन के नियमानुसार स्थानीय लोगों को रोजगार प्राथमिकता पर दी जायेगी।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
3000	1%	30	Following activities at nearby, **Village-Hathkhoj**	
			Eco Park Cum Oxyzone	30
			Total	**30**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क कम ऑक्सीजोन" (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु ग्राम हथखोज के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 नग पौधों के लिए राशि 7,20,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,93,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,50,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 5,82,000 रूपये एवं अन्य खर्च के लिए राशि 3,00,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 20,45,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,55,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा ग्राम विकास समिति हथखोज के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 287, क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. वर्तमान में कोयला आधारित रि–हिटिंग फर्नेस से 57,800 टन रि–रोल्ड स्टील का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 8,670 टन प्रतिवर्ष कोयले का उपयोग होता है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत 1,44,000 टन रि–रोल्ड स्टील के उत्पादन हेतु रि–हिटिंग फर्नेस में 17,280 टन प्रतिवर्ष कोयले का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल प्रोजेक्ट की लागत का ब्रेकअप प्रस्तुत किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रूपये है जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	मद	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)
1.	अतिरिक्त भूमि हेतु लागत्	85.00
2.	बिल्डिंग एवं सिविल हेतु लागत्	375.00
अ.	इंडक्शन को 6 से 10 टन में बदलने हेतु लागत्	800.00
ब.	रि–हिटिंग फर्नेस में उन्नयन की लागत्	125.00
स.	रोलिंग मिल स्ट्रेंड में लगाने तथा गति को अद्यतन करने की लागत्	875.00
3.	इलेक्ट्रीकल इंस्टॉलेशन की लागत् जिसमें अतिरिक्त विद्युत कनेक्शन को धारित करने की क्षमता वाली सुविधा का विकास शामिल है।	325.00
4.	अन्य मिसलेनियस खर्च	250.00
5.	पर्यावरण नियंत्रण उपकरण एवं अन्य गतिविधियां	165.00
6.	कुल	3,000.00
7.	सी.ई.आर.	30.00
	कुल लागत	**3,030.00**

20. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल वायु प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वर्तमान में प्रथम चरण में स्थापित रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 2.080 टन प्रतिवर्ष होती है। द्वितीय चरण में इंडक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम. हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल तथा रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 1.596 टन प्रतिवर्ष होती। प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत इंडक्शन फर्नेस विथ सी. सी.एम. हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल तथा रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 8.076 टन प्रतिवर्ष होगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग को हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, कुल क्षेत्रफल – 2.42 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता –

38,640 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,33,000 टन प्रतिवर्ष, रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,49,000 टन प्रतिवर्ष (थ्रू–हॉट चार्जिंग क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष एवं थ्रू–रि–हीटिंग क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष) एवं एम.एस. पाईप्स क्षमता – 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

2. हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल न्यूनतम 34 प्रतिशत परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र के 6 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव उद्योग परिसर के 5 कि.मी. की परिधि के भीतर सहमति प्राप्त शासकीय भूमि में किया जाना सुनिश्चित करें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. उद्योग परिसर के भीतर रोपण किये जाने वाले पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स को अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के तहत् "ईको पार्क कम ऑक्सीजोन" में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत ग्राउण्ड वॉटर रिचार्ज की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।

   vi. हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल न्यूनतम 34 प्रतिशत परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाए। इसके अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र के 6 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव उद्योग परिसर के 5 कि.मी. की परिधि के भीतर सहमति प्राप्त शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) में किया जाकर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक

रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

19. मेसर्स कोट सेण्ड माईन (प्रो.– श्रीमती स्वाति बंजारे), ग्राम–कोट, तहसील–टुंड्रा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2795)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 446203 एवं 25/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.1 हेक्टेयर एवं 49,266 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–1/1(पार्ट) एवं जोंक नदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि	श्री सोहनलाल वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि	अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कोट दिनांक 08/12/2023	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 03/10/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 03/10/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 03/10/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 03/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्रीमती स्वाति बंजारे (खसरा क्रमांक 01 का भाग, क्षेत्रफल 4.1 हेक्टेयर) दिनांक – 31/07/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	संशोधित एल.ओ.आई. (खसरा क्रमांक 01 का भाग, क्षेत्रफल 4.1 हेक्टेयर के स्थान पर 1/1, क्षेत्रफल 4.1 हेक्टेयर) दिनांक 12/09/2023
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार, वनमण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 18/01/2024	वन क्षेत्र से दूरी – 5 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– कोट 660 मीटर एवं मोतीपुर 520 मीटर स्कूल ग्राम– कोट 820 मीटर अस्पताल– कसडोल 8.6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 1.5 कि.मी. राज्यमार्ग– 6.5 कि.मी.	बांध–11.35 कि.मी. रिजर्वायर–11.35 कि.मी. सिंचाई नहर–680 मीटर एनीकट–9.7 कि.मी. नाला–1 कि.मी. तालाब–510 मीटर रोड ब्रिज– 3.35 कि.मी.

पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 440 मीटर, न्यूनतम 330 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 421 मीटर, न्यूनतम 398 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 105 मीटर, न्यूनतम 95 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 42 मीटर, न्यूनतम 22 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 4.3 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–49,266 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 10 / 06 / 2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 5,300 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – नदी तट के किनारे से न्यूनतम 10 प्रतिशत की दूरी छोड़ने हेतु।	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
वृक्षारोपण कार्य	1,000 नग वृक्षारोपण नदी तट पर, खसरा क्रमांक 220 / 1, रकबा 0.4 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत कोट का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,16,875
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत्	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना / खदान से

	प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.1 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
26.28	2%	0.52	Following activities at Nearby, Village- Kot	
			Plantation around village pond	0.62
			Total	**0.62**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रूपये, खाद के लिए राशि 2,625 रूपये, सिंचाई

तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 23,375 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 38,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कोट के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 271, क्षेत्रफल 1.753 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। जोंक नदी छोटी नदी है, इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स कोट सेण्ड माईन (प्रो.– श्रीमती स्वाति बंजारे) को ग्राम–कोट, तहसील–टुंड्रा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1/1, कुल लीज क्षेत्रफल–4.1 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 5,300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.57 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 21,420 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स कोट सेण्ड माईन (प्रो.– श्रीमती स्वाति बंजारे) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

20. मेसर्स खैरा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री राम लोचन यादव), ग्राम–खैरा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2796)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 442310 एवं 25/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3 हेक्टेयर एवं 36,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–1198(पार्ट) एवं जोंक नदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि	श्री विप्लव साहू, अधिकृत प्रतिनिधि	अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.		उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 07/11/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 07/11/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 07/11/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 07/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री रामलोचन यादव दिनांक – 31/07/2023 वैधता अवधि – 5 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – खैरा 360 मीटर एवं दमलपुर 215 मीटर स्कूल ग्राम – खैरा 400 मीटर अस्पताल – शिवरीनारायण 6.75 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 870 मीटर राज्यमार्ग – 6.2 कि.मी.	तालाब – 240 मीटर नहर – 1.3 कि.मी. नाला – 3 कि.मी. एनीकट – 7.4 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 338 मीटर, न्यूनतम 225 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 434 मीटर, न्यूनतम 418 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 74 मीटर, न्यूनतम 67 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 41 मीटर	संलग्न है।

खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–36,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 3 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 10/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
वृक्षारोपण कार्य	600 नग वृक्षारोपण नदी तट पर, खसरा क्रमांक 692/1/क, रकबा 0.24 हेक्टेयर,	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 13,20,000 ग्राम पंचायत खैरा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition

	सैंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	(S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
20.22	2%	0.404	Following activities at Nearby, **Village- Khaira**	
			Plantation around village pond	0.75
			Total	**0.75**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 14,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 27,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खैरा के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 300, क्षेत्रफल 1.062 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खैरा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत

पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। जोंक नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. रेत उत्खनन के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. नदी तट पर वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत खैरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) की जानकारी को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स खैरा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री राम लोचन यादव) को ग्राम–खैरा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, खसरा क्रमांक 1198(पार्ट), कुल लीज क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर में उत्खनन हेतु

वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स खैरा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री राम लोचन यादव) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. रेत उत्खनन के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. नदी तट पर वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत खैरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) की जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

21. मेसर्स कोनचरा सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत कोनचरा), ग्राम–कोनचरा, तहसील–बेलगहना, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2798)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 453373 एवं 25/11/2024 ई.डी.एस. जानकारी प्राप्ति दिनांक 16/01/2024	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.6 हेक्टेयर एवं 34,500 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–212(पार्ट) एवं अरपा नदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री बलभद्र सिंह तनवर, सरपंच, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कोनचरा दिनांक 29/01/2023	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 29/09/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 29/01/2024	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 29/01/2024	1 खदान, क्षेत्रफल 4.75 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 29/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। आबादी 130 मीटर एवं कच्ची सड़क 100 मीटर दूर है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत कोनचरा दिनांक – 29/05/2023 वैधता अवधि – 5 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–कोनचरा 140 मीटर, स्कूल ग्राम–कोनचरा 360 मीटर अस्पताल–बेलगहना 5.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–19.1 कि.मी.	तालाब 430 मीटर नाला 1.35 कि.मी. नहर 580 मीटर ब्रीज – 2 कि.मी. एनीकट 2.45 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय	संलग्न है।

	संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 163 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 1082 मीटर, न्यूनतम 1047 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 54 मीटर, न्यूनतम 32 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 35 मीटर, न्यूनतम 12 मीटर	समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 163 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 35 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 100 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 12 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3.25 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.25 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–34,500 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.25 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 12/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
वृक्षारोपण कार्य	1,000 नग वृक्षारोपण नदी तट पर, खसरा क्रमांक 380/1/1, रकबा 0.4 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत कोनचरा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,17,000
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 9.35 हेक्टेयर है।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 05 दिसम्बर 2023 से प्रारंभ किया गया, जिसकी सूचना तत्समय दी गई थी।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit NOC from DFO, forest department mentioning the distance from forest.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Santuary from the lease area.

vi. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

vii. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of river bank plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

22. मेसर्स पुरनापानी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री देवशरण बघेल), ग्राम–पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2809)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 453534 एवं 28/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.1 हेक्टेयर एवं 49,200 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक 01 एवं तेलनदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सतीश दौरा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पुरनापानी दिनांक 25/05/2018	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 21/11/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/सीमांकित		कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

500 मीटर	दिनांक 16/10/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 16/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री देवशरण बघेल दिनांक – 05/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	जारी एल.ओ.आई. में "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 नियम 7 के तहत् रेत खदान उत्खनिपट्टा अवधि 5 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद द्वारा जारी दिनांक 05/12/2020	वन क्षेत्र से दूरी – 14 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–पुरनापानी 460 मीटर, स्कूल ग्राम–पुरनापानी 1.5 कि.मी. अस्पताल– देवभोग 7 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 4 कि.मी. राज्यमार्ग– 41 कि.मी.	संलग्न है।
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 438 मीटर, न्यूनतम 421 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 229 मीटर, न्यूनतम 216 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 187 मीटर, न्यूनतम 182 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 24 मीटर, न्यूनतम 5 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–49,200	संलग्न है।

	घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.9 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 13/12/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 6,418 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 438 मीटर, न्यूनतम 421 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 24 मीटर, न्यूनतम 5 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता।	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
वृक्षारोपण कार्य	1,000 नग वृक्षारोपण नदी तट पर खसरा क्रमांक 13 रकबा 0.45 हेक्टेयर एवं 14, रकबा 0.18 हेक्टेयर (कुल 0.63 हेक्टेयर) ग्राम पंचायत पुरनापानी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,83,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, वर्षाऋतु के दौरान रेत	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध

	उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, रेत उत्खनन एवं भराई का कार्य मैनुअल विधि से किये जाने व भारी वाहनों को नदी में नहीं उतारने, मिनरल कन्सेशन नियम के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन किये जाने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 4.1 हेक्टेयर है।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.29	2%	0.26	Following activities at Nearby, Village- Purnapani	
			Plantation around pond	0.35

			Total	**0.35**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 50 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 26,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पुरनापानी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 96, क्षेत्रफल 0.56 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

7. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। तेल नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के

अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रमाण पत्र की प्रति को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स पुरनापानी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री देवशरण बघेल) को ग्राम–पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्रफल–4.1 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 6,418 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.4582 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 20,750 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/03/2024 को संपन्न 168वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स पुरनापानी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री देवशरण बघेल) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से चिन्हांकन/सीमांकन कराकर ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरूण प्रसाद पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़